केवल आप के लिये
गांव–गांव शहर–शहर देश दुनियां में अपनों तक पहुंचाना है तो भारतीय बस्ती दैनिक वेब www.bhartiyabasti.com और उसका छपा संस्करण सबसे बेहतर माध्यम
सम्पर्क-bhartiyabasti@gmail.com
मो0 9450567450| 9336715406

दैनिक
भारतीय बस्ती

भारतीय बस्ती
www.bhartiyabasti.com
के लिये विज्ञापन बुक कराये।
विचार, प्रचार का सशक्त माध्यम
सम्पर्क
मो0 9336715406
8400925463
भारतीय बस्ती आमंत्रण मूल्य 2रूपया

R.N.I. 38784/81 डाक पंजीकरण सं0 B.S.T 59 बस्ती, वर्ष :47 अंक 299 रविवार 24 मई 2026 (बस्ती संस्करण) बस्ती एवं अयोध्या–फैजाबाद से एक साथ प्रकाशित पृष्ठ :4मूल्य:3.00 रुपया www.bhartiyabasti.com

एक नजर

डीजल चोर गिरोह का पर्दाफाश

भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। पुलिस ने एक अंतरजनपदीय डीजल चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस कार्रवाई में 25 हजार रुपये के इनामी अपराधी सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी में इस्तेमाल होने वाले औजार, लगभग 100 लीटर चोरी का डीजल, नकदी, मोबाइल फोन और एक चार पहिया वाहन बरामद किया है।

पुलिस के अनुसार, शनिवार को पटखापुर तिराहा सर्विस लेन के पास चेकिंग के दौरान इन तीनों संदिग्धों को पकड़ा गया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे किराए के चार पहिया वाहन से विभिन्न क्षेत्रों में घूमकर ट्रक और ट्रेलर की टंकियों के ताले तोड़कर डीजल चोरी करते थे। गिरफ्तारी और बरामदगी के आधार पर छावनी थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया।

गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों की पहचान भीम पाण्डेय (पुत्र शीतल प्रसाद पाण्डेय, निवासी मुस्तफाबाद, थाना अहिरौली, जनपद अंबेडकरनगर), धीरज गोस्वामी (पुत्र सत्यनारायण गोस्वामी, निवासी उत्तरेथु गोसाई का पूरवा, थाना इब्राहिमपुर, जनपद अंबेडकरनगर) और मोहन पाण्डेय (पुत्र जालंधर पाण्डेय, निवासी मुस्तफाबाद, थाना अहिरौली, जनपद अंबेडकरनगर) के रूप में हुई है। भीम पाण्डेय पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित था। बरामद सामान में तीन पिलास, तीन बड़े स्पैनर रिंच, 1820 रुपये नकद, दो एंड्रॉयड मोबाइल फोन, एक होंडा सिटी कार और लगभग 100 लीटर चोरी का डीजल शामिल है।

इस कार्रवाई में थानाध्यक्ष चंदन कुमार, एसओजी प्रभारी विकास यादव, स्वाटऽसर्विलांस प्रभारी शेषनाथ यादव सहित छावनी थाना, एसओजी, स्वाट और सर्विलांस टीम के कई पुलिसकर्मी शामिल रहे।

अस्पताल पर 5.30 लाख का जुर्माना

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। जिला उपभोक्ता फोरम ने एक निजी अस्पताल को गर्भवती महिला के ऑपरेशन में गंभीर लापरवाही बरतने का दोषी ठहराया है। फोरम ने अस्पताल प्रबंधन को 5. 30 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है। इसमें पीड़िता को चार लाख रुपये उपचार व्यय और 1. 30 लाख रुपये मानसिक व शारीरिक क्षति के मुआवजे के रूप में देने के निर्देश शामिल हैं। मामले की सुनवाई जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष न्यायाधीश अमरजीत वर्मा और सदस्य अजय प्रकाश सिंह ने की।

यह परिवाद मुंडेरवा थाना क्षेत्र के रानीपुर गांव निवासी सरिता पत्नी कृष्णा ने अधिवक्ता शिव कुमार त्रिपाठी के माध्यम से दाखिल किया था। परिवाद के अनुसार, सरिता को प्रसव के लिए 14 अगस्त 2021 को शहर स्थित शंभूनाथ शुक्ला एस.एस. मेडिकल सेंटर में भर्ती कराया गया था। उसी दिन ऑपरेशन के जरिए बच्चे का जन्म हुआ, लेकिन नवजात ने कुछ ही देर बाद दम तोड़ दिया। महिला को 23 अगस्त को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी।

पीड़िता ने आरोप लगाया कि ऑपरेशन के बाद से ही उसके पेट और नाभि के आसपास लगातार असहनीय दर्द बना रहा। अस्पताल के चिकित्सकों सहित कई अन्य डॉक्टरों से उपचार और जांच कराने के बावजूद उसे राहत नहीं मिली। बाद में हालत बिगड़ने पर सरिता को एम्स दिल्ली में भर्ती कराया गया। वहां 18 दिसंबर 2021 को हुए ऑपरेशन में महिला के पेट से तौलिया का एक टुकड़ा निकाला गया। एम्स की डिस्चार्ज समरी में भी पूर्व ऑपरेशन में लापरवाही का उल्लेख किया गया है। मामले में अस्पताल प्रबंधन ने लापरवाही से इनकार किया था। हालांकि, दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फोरम ने अस्पताल प्रबंधन को दोषी मानते हुए पीड़िता के पक्ष में फैसला सुनाया।

जमीन–जायदाद के लंबित मामलों पर मुख्यमंत्री योगी सख्त, तय होगी अफसरों की जवाबदेही

लखनऊ (आभा)। यूपी में जमीन–जयदाद से जुड़े राजस्व के लंबित मामलों पर सीएम योगी ने सख्ती दिखाई है। राजस्व मामलों की समीक्षा कर रहे सीएम योगी ने निर्देश देते हुए कहा, राजस्व मामलों के त्वरित, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण को शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि भूमि और राजस्व से जुड़े विवाद आमजन के जीवन, किसान हितों और सामाजिक सौहार्द से सीधे जुड़े होते हैं, इसलिए इन मामलों में अनावश्यक विलंब किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं होगा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि निर्धारित समय–सीमा के बाद भी लंबित रहने वाले मामलों में संबंधित अधिकारियों और कार्मिकों की जवाबदेही तय करते हुए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

शनिवार को राजस्व न्यायालयों में लंबित वादों के निस्तारण की प्रगति की उच्चस्तरीय समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि तकनीक आधारित व्यवस्था, जवाबदेही और समयबद्ध कार्यप्रणाली के माध्यम से राजस्व न्यायालयों की कार्यक्षमता को और अधिक प्रभावी बनाया जाए, ताकि आम नागरिक को शीघ्र न्याय मिल सके। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से निर्देश दिए कि निर्धारित समय–सीमा से अधिक अवधि से लंबित वादों का अभियान चलाकर प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जाए। उन्होंने कहा कि तहसील और जनपद स्तर पर नियमित समीक्षा हो तथा कमजोर प्रदर्शन करने वाले जिलों की जवाबदेही तय की जाए।

भीषण गर्मी में बेजुबानों के लिए राहत बनी ग्राम पंचायत मरहा की पहल

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। भीषण गर्मी और लगातार बढ़ते तापमान के बीच जहां इंसान गर्मी से बेहाल हैं, वहीं बेजुबान पशु–पक्षियों के सामने भी पानी का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। ऐसे कठिन समय में जनपद बस्ती के सदर विकासखंड के ग्राम पंचायत मरहा ने मानवता और जीव संरक्षण की मिसाल पेश करते हुए पंचायत क्षेत्र के विभिन्न सार्वजनिक, सुरक्षित एवं सुगम स्थलों पर पानी से भरे नाद (जल पात्र) रखवाने की सराहनीय पहल शुरू की है।

ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत के पश्चभूमि में दर्जन भर स्थानों पर जल पात्र स्थापित किए गए हैं, ताकि आवारा पशु, गौवंश, कुत्ते तथा पक्षियों को भीषण गर्मी में आसानी से पीने योग्य पानी उपलब्ध हो सके। पंचायत की इस पहल की ग्रामीणों द्वारा सराहना की जा रही है। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि अखिल कुमार यादव ने बताया कि गर्मी के मौसम में सबसे अधिक परेशानी बेजुबान जीवों को उठानी पडती है। कई बार पानी के अभाव में पशु–पक्षियों की जान तक चली जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए पंचायत स्तर पर यह व्यवस्था कराई गई है, ताकि कोई भी जीव प्यासा न रहे। उन्होंने कहा कि जीवों पर दया करना ही सबसे बड़ा मानव धर्म है और समाज के प्रत्येक व्यक्ति को इस दिशा में आगे आना चाहिए।

उन्होंने ग्रामीणों से अपील करते हुए कहा कि लोग अपने घरों, दुकानों, खेतों और छतों पर भी पानी से भरे छोटे पात्र अवश्य रखें। यदि हर घर एक परिंडा और एक जल पात्र रख दे, तो यह हजारों पशु–पक्षियों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकता है।

ग्रामीणों ने पंचायत की इस मानवीय पहल को प्रेरणादायी बताते हुए कहा कि इस तरह के प्रयास समाज में संवेदनशीलता और प्रकृति संरक्षण का संदेश देते हैं। भीषण गर्मी के बीच ग्राम पंचायत मरहा की यह पहल न केवल पशु–पक्षियों के लिए राहत बनी है, बल्कि मानवता की मिसाल भी पेश कर रही है।

विवादित जमीन में नाली निर्माण रोकने की मांग दबंगों ने पत्नी को मारा पीटाः छीन लिया मंगलसूत्र

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। वाल्टरगंज थाना क्षेत्र के बडकुईयां गांव में जमीनी विवाद में मार पीट और रामवृक्ष की पत्नी का मंगलसूत्र छीन लिये जाने का मामला सामने आया है। इस सम्बन्ध में रामवृक्ष पुत्र रामबहोर ने वाल्टरगंज पुलिस को लिखित सूचना देकर मामले में न्याय की गुहार लगाया है।

वाल्टरगंज पुलिस को दिये पत्र में रामवृक्ष ने कहा है कि ग्राम प्रधान राम सुभाव, राम जी, बिन्द्रावती देवी पत्नी धर्मराज, मीरा देवी पत्नी लालजी, प्रेमा देवी पत्नी रामजी, रामजी पुत्र रामपियारे व अन्य के बीच जमीनी विवाद चल रहा है। तथा उसी के संबंध में सिविल जज जू०डि० वाद सं0 242 के यहां लम्बित भी है फिर भी विपक्षी राम सुभाव व अन्य उसी विवादित जमीन में नाली निर्माण कराना चाह रहे हैं। 21 मई को राम सुभाव व अन्य सहयोगियों ने विवादित जमीन पर धावा बोल दिया और उसकी पत्नी को मारा पीटा, गले में पहने हुये मंगलसूत्र को छीन ले गये। वाल्टरगंज पुलिस इस प्रकरण में गत 11 फरवरी को धारा 126,135 की कार्यवाही भी कर चुकी है फिर भी राम सुभाव व उनके सहयोगी आदि आमादा फौजदारी है। रामवृक्ष ने पत्नी के छीने गये मंगलसूत्र को दिलाने के साथ–साथ निर्माण कार्य रूकवाने की मांग किया है।

पूर्व विधायक अफसर यू अहमद के निधन से शोक की लहर

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। पूर्व विधायक अफसर यूं अहमद जी का लंबे समय से चल रहे इलाज के दौरान शुक्रवार को निधन हो गया। उनके निधन की खबर मिलते ही पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। निधन की सूचना मिलते ही परिजन उनके पार्थिव शरीर को लेकर दरियाबाँ स्थित आवास पहुंचे, जहां उनके अंतिम दर्शन के लिए लोगों का तांता लग गया।

संत कबीर नगर जिला कमेटी के जिलाध्यक्ष प्रवीण चंद्र पांडे, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सचिव नोमान अहमद तथा वरिष्ठ नेता अरुण पांडे सहित कई लोग उनके आवास पहुंचे। नेताओं ने कांग्रेस पार्टी का झंडा उनके पार्थिव शरीर पर अर्पित कर उन्हें सम्मानपूर्वक श्रद्धांजलि दी।

पूर्व विधायक के निधन पर विभिन्न राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और क्षेत्रीय लोगों ने गहरा दुख व्यक्त करते हुए ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति एवं परिजनों को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की।

बनकटी में 31.83 करोड़ के लेबर बजट पर लगी मुहर, मनरेगा से रोजगार बढ़ाने पर जोर

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बनकटी, (बस्ती)।विकास खंड बनकटी के ब्लॉक सभागार में शनिवार को क्षेत्र पंचायत की बैठक आयोजित हुई। बैठक ब्लॉक प्रमुख मेवाती देवी की सहमति से प्रमुख प्रतिनिधि रामायण रघुनाथ सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में विकास योजनाओं की समीक्षा के साथ मनरेगा के तहत वर्ष 2026–27 के लिए 31 करोड़ 83 लाख रुपये के लेबर बजट को सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई।

बैठक में मनरेगा के माध्यम से अधिक से अधिक श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने तथा विकास कार्यों को समयबद्ध और प्रभावी ढंग से संचालित करने पर विशेष जोर दिया गया। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन और आधारभूत सुविधाओं के विकास को प्राथमिकता दी जाएगी।

इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग, समाज कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) एवं मुख्यमंत्री आवास योजना सहित विभिन्न योजनाओं की प्रगति और क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। योजनाओं को पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ लागू करने के निर्देश दिए गए।

बैठक को संबोधित करते हुए खण्ड विकास अधिकारी भवानी प्रसाद शुक्ल ने कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने के लिए सभी विभाग समन्वय बनाकर कार्य करें। वहीं जिला पंचायत सदस्य सुरेन्द्र कुमार तिवारी, सत्यनारायण शुक्ल, जगदीश प्रसाद शुक्ल, अरविंद पाल प्रतिनिधि नगर पंचायत, रवि चंद्र पाण्डेय, ओमप्रकाश शुक्ल, मनमोहन तिवारी, अरुण कुमार पाण्डेय, बैजनाथ शर्मा तथा डॉ. राजेश कुमार ने मजदूरों को नियमित रोजगार उपलब्ध कराने और विकास कार्यों में तेजी लाने पर बल दिया।

बैठक में रमेश अग्रहरी, सुनील कुमार कन्नौजिया, अंकित पाण्डेय, बृजेश चौधरी, सुजीत सिंह, रविन्द्र सिंह, पूर्व प्रमुख राम कलेश कन्नौजिया, राजेन्द्र चौधरी, राम किशुन चौधरी, मो. अली, मो. समीम समेत सभी ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और संबंधित विभागों के अधिकारी–कर्मचारी मौजूद रहे।

अमेरिकी विदेश मंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक

नई दिल्ली (आभा)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो के साथ शनिवार को द्विपक्षीय बैठक की। यह मुलाकात नई दिल्ली स्थित सेवा तीर्थ में हुई, जहां भारत–अमेरिका संबंधों को और मजबूत बनाने व विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर बातचीत हुई। बैठक के दौरान दोनों नेताओं के बीच सकारात्मक चर्चा हुई, जिसमें रणनीतिक साझेदारी, व्यापार, सुरक्षा और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान–प्रदान हुआ। मीटिंग के अंत में रुबियो ने पीएम मोदी को वाइट हाउस आने का न्योता दिया।

जनगणना ड्यूटी में अनियमिता के सवाल को लेकर दूसरे दिन भी जारी रहा शिक्षकों का धरनाः आश्वासन पर माने शिक्षक

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। जनगणना ड्यूटी में अनियमिता के सवाल को लेकर शिक्षकों का धरना उप जिलाधिकारी कार्यालय हरैया के समक्ष दूसरे दिन शनिवार को भी जारी रहा। तहसीलदार हरैया और खण्ड शिक्षा अधिकारी ने आश्वासन दिया कि जितने भी आवेदन पत्र आये हैं उनका संशोधन शनिवार की रात्रि में करके ड्यूटी की सूची ग्रुप पर भेज दी जाएगी। यदि किसी का तब भी गड़बड़ी रहती है तो खंड शिक्षा अधिकारी उसका संशोधन करा देंगे। इसी शर्त के साथ धरना स्थगित किया गया।

उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ जिलाध्यक्ष उदयशंकर शुक्ल ने बताया कि धरना स्थल पर तहसीलदार हरैया अभय राज और खंड शिक्षा अधिकारी प्रभात श्रीवास्तव विजय आनंद आए और विस्तृत रूप से वार्ता हुआ। अध्यापकों ने जनगणना की किट लेने से इनकार कर दिया क्योंकि उसमें नियुक्ति आदेश आईडी नजरी नक्शा सहित तमाम अभिलेख नहीं थे।

धरने पर बैठे शिक्षकों और संघ जिलाध्यक्ष उदयशंकर शुक्ल ने तहसीलदार से यह भी कहा कि यदि गड़बड़ी ठीक नहीं होगी तो सोमवार से पूरे जनपद के शिक्षक हरैया तहसील में आकर आंदोलन करेंगे।

धरने में उदय शंकर शुक्ला के साथ चंद्रिका सिंह, बालकृष्ण ओझा, ओमकार उपाध्याय, हरेंद्र यादव, सतीश शंकर शुक्ला, राजीव पाण्डेय, शिव प्रकाश सिंह, सुधीर तिवारी, अखिलेश पाण्डेय, विनोद यादव, रवींद्रनाथ, सुनील पाण्डेय, लालेंद्र कुमार, वैभव कनौजिया, राम प्यारे, कल्पनाथ, जनार्दन शुक्ला, मदन गोपाल पाण्डेय, राहुल सिंह मुरली धर दिवाकर सिंह, राजकुमार, राजेश कुमार, स्कंद मिश्रा, विकास पाण्डेय, संतोष शुक्ला, संजीव सिंह, नरेन्द्र दुबे, अवनीश तिवारी, विनोद कुमार, प्रमोद त्रिपाठी, रामसागर वर्मा, विकास मिश्रा, विकास द्विवेदी, विकास मिश्रा, शैलेश राय, हनुमान प्रसाद, भोलानाथ, शैलेश नंदिनी देवी, संध्या पाण्डेय, नीलम, हनुमान दुबे सहित बड़ी संख्या में शिक्षक मौजूद रहे।

युवा भारती संगठन ने डाक्टर पर लगाये गंभीर आरोपः जांच के साथ निलम्बन की मांग

–मरीजों के साथ अमानवीय व्यवहार बर्दाश्त नहीं–डॉ. लवकुश पटेल

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। युवा भारती संगठन के अध्यक्ष और भारतीय खाद्य निगम भारत सरकार के पूर्व सदस्य राज्य सलाहकार समिति डॉ. लवकुश पटेल ने मुख्य चिकित्साधीक्षक बस्ती को पत्र देकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हरैया में तैनात चिकित्सक डॉ. नंदलाल यादव की घोर लापरवाही एवं अमानवीय व्यवहार को लेकर कड़ी कार्रवाई और निलम्बन की मांग किया है।

मुख्य चिकित्साधीक्षक बस्ती को दिये पत्र में डॉ. लवकुश पटेल ने कहा है कि गत 22 मई 2026 को एक मृतक को अस्पताल लाए जाने के उपरांत संबंधित चिकित्सक द्वारा मृत घोषित करने के बाद अपने कर्तव्यों से विमुख होकर ड्यूटी के दौरान ही मुख्य गेट के बगल स्थित जनता मेडिकल स्टोर पर बैठकर कार्य करने लगे। यह अत्यंत आपत्तिजनक एवं निंदनीय है। यह न केवल सेवा नियमों का उल्लंघन है, बल्कि मरीजों के अधिकारों के साथ खुला खिलवाड़ भी है। मरीजों के साथ अमानवीय व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जायेगा।

युवा भारती के अध्यक्ष डॉ. लवकुश पटेल ने कहा है कि वे मौके पर पहुंचे और जब संबंधित चिकित्सक को उनके कर्तव्य स्थल पर उपस्थित होने हेतु कहा गया, तो उनके द्वारा अभद्र एवं अपमानजनक व्यवहार किया गया, जो यह दर्शाता है कि ऐसे लापरवाह कर्मियों को प्रशासनिक भय का कोई अंदाजा नहीं रह गया है।

यह भी संज्ञान में आया है कि उक्त चिकित्सक का जनता मेडिकल स्टोर पर बैठना संभावित रूप से अवैध सांठगांठ एवं कमीशनखोरी का संकेत है, जिससे गरीब मरीजों का आर्थिक शोषण किया जा रहा है और सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को नुकसान पहुंचाया जा रहा है।

युवा भारती संगठन ने मांग किया है कि संबंधित चिकित्सक डॉ. नंदलाल यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के साथ ही प्रकरण की निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जांच कर कठोर कार्रवाई की जाए। संगठन ने यह भी कहा है कि यदि तीन के भीतर इस प्रकरण में ठोस कार्रवाई नहीं की गई, तो इस मामले को उपमुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक के समक्ष उठाया जाएगा तथा इसे प्रदेशव्यापी जन आंदोलन का रूप दिया जाएगा। यह केवल एक घटना नहीं, बल्कि पूरे स्वास्थ्य तंत्र की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल है। यदि सरकारी चिकित्सक निजी मेडिकल स्टोर पर बैठकर कार्य करेंगे, तो यह व्यवस्था किसी भी हाल में स्वीकार्य नहीं होगी।

स्वतंत्र अभिव्यक्ति, सशक्तिकरण सराहनीय पहल-संजय कुमार शुक्ल

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में मिशन नारी सशक्तिकरण के अंतर्गत शनिवार को लड़कियों के लिए निःशुल्क शिक्षा विषय पर एक दिवसीय संगोष्ठी एवं वर्कशॉप का आयोजन नवगुरुकुल संस्था बेंगलुरु एवं डायट के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया।

कार्यक्रम का शुभारंभ डायट प्राचार्य संजय कुमार शुक्ल ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्ज्वलित करके किया। कार्यक्रम में नवगुरुकुल संस्था के मेंटर राम आशीष चौहान, विनोद शर्मा एवं प्रमोद कुमार ने डीएलएड प्रशिक्षुओं को महिला सशक्तिकरण विषय से संबंधित निःशुल्क शिक्षा प्रक्रिया के बारे में बताया और उसके उपरांत परीक्षा भी लिये। जिसमें डायट के 42 बच्चे फर्स्ट राउंड में क्वालिफाइड हुए। यही प्रशिक्षु अब नेक्स्ट राउंड की परीक्षा में प्रतिभाग करेंगे। साथ ही आरना थियेटर एवं एक्टिंग स्टूडियों के समर कैंप में नाटक, मां दुर्गा के तहत नारी सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के मिशन शक्ति के मूल उद्देश्यों को साकार कर रहा है, जिसका लक्ष्य महिलाओं को स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक आत्मनिर्भरता और सामाजिक सम्मान के क्षेत्र में सशक्त बनाना है। प्राचार्य के मार्गदर्शन एवं नेतृत्व में कार्यक्रम को मूर्त रूप देने में नोडल प्रवक्ता डॉ गोविन्द, कल्याण पाण्डेय, वर्षा पटेल, वंदना चौधरी, अलीउद्दीन, इमरान आदि ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस अवसर पर अमन सेन, शशिदर्शन त्रिपाठी, नवनीत, रमाकांत, डीएलएड प्रशिक्षु ज्ञानेंद्र, चंदन मिश्रा, अरुण, सौरभ, विजय कुमार, सिद्धांत, अम्बिका आदि ने कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दिया।

–नारी सशक्तिकरण संगोष्ठी, वर्कशाप में दिया संदेश

"मुझे अखबार निकालने दो तो मै इस बात की परवाह नहीं करता कि कौन धर्म का नियामक है और कौन कानून का निर्माता"–वेंडेल फिलिप्स

दैनिक
भारतीय बस्ती
बस्ती 24 मई 2026 रविवार

सम्पादकीय

आसमान से बरसती आग

हाल के दिनों में आसमान से बरसती आग से देश में जन–जीवन बुरी तरह झुलस रहा है। रोज तापमान बढ़ने के नये रिकॉर्ड सामने आ रहे हैं। ये असहनीय तापमान केवल स्वास्थ्य की चुनौती मात्र नहीं है, बल्कि एक आर्थिक संकट भी है। देश में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक भीषण गर्मी में काम करने को मजबूर हैं। यदि वे ऐसा न करें तो उनके सामने आजीविका का संकट पैदा हो जाता है। स्कूल–कालेज तो लू के दौरान बंद किए जा सकते हैं, सरकारी व गैर सरकारी दफ्तरों में काम के घंटों में बदलाव किया जा सकता है, लेकिन खेत में काम करने वाले खेतिहर मजदूर व निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों को तो तपती दोपहरी व लू के बीच काम करने को मजबूर होना पड़ता है। दरअसल, लू की मार जहां शारीरिक है, वहीं आर्थिक भी। लगातार बढ़ते तापमान से लोगों की आजीविका और श्रम उत्पादकता पर बुरा असर पड़ रहा है। इस संकट को हाल के दिनों में हुई ईंधन की कीमतों की वृद्धि और महंगाई ने और बढ़ा दिया है। लोगों को सीमित संसाधनों में जीवन यापन को मजबूर होना पड़ रहा है। विडंबना यह है कि इस संकट का सबसे घातक प्रभाव उस तबके को सहन करना पड़ता है जो 'रोज कुंआ खोदकर पानी पीने' को बाध्य है। एक दिन की कमाई से ही रात को उसके घर का चूल्हा जलता है। लू के निशाने पर वे अनौपचारिक श्रमिक हैं जो भारतीय आर्थिकी की रीढ़ है। सही मायनों में लू के खिलाफ लड़ाई को अब केवल एक मौसमी सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या ही नहीं माना जा सकता है। धीरे–धीरे यह एक गंभीर आर्थिक चुनौती भी बनी है। अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठन इस बाबत चेताते रहे हैं। वर्ष 2024 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने अनुमान लगाया था कि लू से उपजे हालात से भारत को सौ अरब डॉलर का नुकसान हुआ था।

इससे पहले वर्ष 2022 में विश्व बैंक ने चेतावनी दी थी कि भारत का तीन–चौथाई श्रमिक वर्ग लू से प्रभावित क्षेत्रों में काम करने को मजबूर है। अनुमान है कि लू के तनाव के कारण होने वाली विश्वव्यापी नौकरियों की कमी में भारत की हिस्सेदारी आधी हो सकती है। दरअसल, भारत में सबसे अधिक जोखिम वाले समूहों में निर्माण श्रमिक, खेतिहर श्रमिक, किसान, स्ट्रीट वेंडर और डिलीवरी एजेंट शामिल हैं। हालांकि, समय–समय पर केंद्र व राज्य सरकारों ने कार्य समय का पुनर्निधारण, छायादार विश्राम क्षेत्र बनाने, जलपान सुविधा, सुरक्षात्मक कपड़े और स्वास्थ्य निगरानी को लेकर एडवाइजरी जारी की है,लेकिन फिर भी संकट के दायरे को देखते हुए ये उपाय नाकाफी हैं। देखा जाए तो फिलहाल भारत में गर्मी के संकट से मुकाबले के लिये बनायी गई योजनाएं काफी हद तक अस्थायी रूप से राहत देने वाली हैं। वक्त की मांग है कि भीषण गर्मी वाले महीनों के लिये तत्काल व्यापक नीतिगत ढांचा तैयार किया जाए। ऐसा तंत्र विकसित करने की जरूरत है जो लू चलने के दौरान सुरक्षित कार्य परिस्थितियों को एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता प्रदान करे। इस साल के आरंभ में वित्त आयोग ने सिफारिश की थी कि भीषण गर्मी के दौरान चलने वाली लू को आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत अधिसूचित आपदाओं की सूची में शामिल किया जाए। निस्संदेह, इस वर्गीकरण से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष से मिलने वाले धन का उपयोग लोगों को राहत और सहायता प्रदान करने में मदद देगा। इसके अलावा लू के दौरान कई अन्य नकारात्मक प्रभाव भी देखने में आते हैं। मसलन इस समय बिजली व पानी की खपत अप्रत्याशित रूप से बढ़ जाती है। इससे निबटने के लिये मजबूत और सक्रिय तंत्र विकसित करने की जरूरत है। निर्विवाद रूप से देश के नीति–निर्माताओं और अन्य हितधारकों के सामने इस संकट से मुकाबले के लिये स्पष्ट विकल्प मौजूद हैं। केंद्र व राज्य सरकारों को चाहिए कि समय रहते निर्णायक रूप से अनुकूलन का तंत्र विकसित करें। यदि समय रहते इस दिशा में कदम नहीं उठाया गया तो भविष्य में अधिक मानवीय क्षति व आर्थिक कीमत चुकानी पड़ सकती है।

समझना होगा युवा मन की पीड़ा और आक्रोश

—विश्वनाथ सचदेव—

पिछले पच्चीस सालों में सौ से अधिक आरटीआई कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है। 'फ्री स्पीच कलेक्टिव' के अनुसार भारत में पिछले दो दशकों में पचास से अधिक पत्रकार पेशेवर कार्यों के कारण मारे जा चुके हैं। ऐसे लोगों को जब कोई कॉकरोच या परजीवी कहे तो दुख भी होना चाहिए और गुस्सा भी आना चाहिए।

पिछले कुछ दिनों से अचानक कॉकरोच यानी तिलचट्टा देश में चर्चा का विषय बन गया है। नहीं, कॉकरोच ने कुछ नया नहीं किया है। हुआ यह है कि देश की सर्वोच्च अदालत के मुखिया ने एक मामले की सुनवाई के दौरान अपनी अलिखित टिप्पणी में कॉकरोच का नाम लेकर कुछ ऐसा कह दिया कि देशभर में चर्चा चल पड़ी है। मामला एक वकील द्वारा 'वरिष्ठ वकील' कहलाये जाने की मांग को उठाये जाने का था। उसकी मांग को अनुचित बताते हुए मुख्य न्यायाधीश महोदय ने उस जैसे वकीलों की तुलना कॉकरोच से कर दी। उन्होंने कहा, कुछ बेरोजगार युवा कॉकरोच जैसे होते हैं जो बाद में मीडिया, सोशल मीडिया या आरटीआई एक्टिविस्ट आदि बनकर सिस्टम पर हमला करने लगते हैं। स्पष्ट है उन्हें वह वकील महोदय भी सिस्टम पर हमला करने वाले लगे होंगे। मुख्य न्यायाधीश तो यह टिप्पणी करके चुप हो गये थे, पर इस टिप्पणी को लेकर देश बोलने लगा। बेरोजगारों, एक्टिविस्टों, मीडिया कर्मियों, ने मुख्य न्यायाधीश की इस टिप्पणी को अनुचित ही नहीं, शर्मनाक भी बताया। सचमुच, यह समझना आसान नहीं है कि देश के सर्वोच्च पदों में से एक पर बैठने वाला व्यक्ति देश के युवाओं की तुलना कॉकरोच जैसे जीव कैसे कर सकता है!

बात जब बढ़ने लगी तो न्यायाधीश महोदय ने अपना स्पष्टीकरण देते हुए यह कहा कि उनकी बात को अनुचित रूप से सामने रखा जा रहा है, उनका मुख्य निशाना तो उन लोगों पर था जो फर्जी डिग्रियों से कानूनी पेशे में आ जाते हैं और सिस्टम पर हमला करने लगते हैं। जहां तक भारत के युवाओं का सवाल है, उन्हें तो वह 'विकसित भारत का स्तंभ' मानते हैं। मुख्य न्यायाधीश महोदय ने अपने स्पष्टीकरण में यह भी कहा कि उन्हें 'युवाओं की वर्तमान और भविष्य की क्षमता पर गर्व है'। होना तो यह चाहिए था कि इस स्पष्टीकरण के बाद विवाद यहीं समाप्त हो जाता, पर हुआ नहीं। मुख्य न्यायाधीश द्वारा युवाओं, एक्टिविस्टों, मीडिया कर्मियों की तुलना कॉकरोच से किया जाना लोगों को रास नहीं आ रहा। मुख्य न्यायाधीश ने सिर्फ कॉकरोच ही नहीं कहा, उनके लिए 'परजीवी' शब्द का इस्तेमाल भी किया। यदि यह विशेषण युवा भारत को आहत कर रहा है तो इसे गलत नहीं कहा जा सकता।

मुख्य न्यायाधीश चाहते तो कॉकरोच या परजीवी जैसे शब्दों के अनुचित उपयोग पर क्षमा मांग सकते थे। क्षमता नहीं मांगते तो कम से कम खेद तो व्यक्त कर ही सकते थे। उनका ऐसा करना एक उदाहरण होता उन सबके लिए जो सार्वजनिक व्यवहार में इस तरह के शब्द अक्सर बोल जाते हैं। सवाल शब्दों का ही नहीं है, इनके पीछे की मानसिकता का है। देश के युवाओं को कॉकरोच या परजीवी कहने की इस मानसिकता को समझना जरूरी है। कथित गलत काम करने के लिए किसी को सांप या बिच्छू भी कहा जा सकता था। पर जाने–अनजाने मुख्य न्यायाधीश महोदय ने कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल किया। कॉकरोच शब्द अपने आप में एक लंबी कहानी और प्रवृत्ति को उजागर करता है। आज जिसे हम कॉकरोच कहते हैं, उसका जन्म शायद जुरासिक काल में हुआ थादृ आज से 320 मिलियन साल पूर्व। यह शायद अकेला जीव है जो तीन करोड़ सालों से अधिक समय से धरती पर है और कहते हैं इसका अस्तित्व कभी समाप्त भी नहीं होगा। न्यूक्लियर युद्ध के बाद भी कॉकरोच के धरती पर बने रहने की बात भी वैज्ञानिक कहते रहते हैं!

महान जर्मन कथाकार फ्रांज काफ्का की कहानी 'दि मेटामार्फोसिस' में कॉकरोच का सीधा वर्णन तो नहीं किया गया, पर कहानी का मुख्य पात्र ग्रेगर सामसा एक खतरनाक कीड़े में बदल जाता है। काफ्का ने इसके लिए एक जर्मन शब्द 'अनजेसिफर' का इस्तेमाल किया है, इसका अर्थ 'गंदा कीड़ा' या 'बीमारी फैलाने वाला जीव' होता है। वस्तुतः कहानी में एक जीव का इस कीड़े के रूप में कायांतरण होता है। जिसकी मृत्यु उसके परिवार के लिए महत्वहीन होने की अनुभूति थी। आप चाहें तो इस 'अनजेसिफर' को घृणा करने योग्य कीड़े के रूप में देख सकते हैंय जो लिजलिजा हैय जो गंदे गीले माहौल में पलता हैय जो परजीवी हैदृ और जो किसी काम का नहीं रहा है। जब हम किसी को कॉकरोच या तिलचट्टा कहते हैं तो वस्तुतः हम उसे एक ऐसे जीव के रूप में देख रहे होते हैं जो किसी काम का नहीं है, जो अंधेरे में जीता है, जो छिपकर वार करता है, जो परजीवी है!

आज यदि देश के मुख्य न्यायाधीश द्वारा युवाओं को कॉकरोच कहे जाने पर आपत्ति है तो उसके पीछे उस मानसिकता के नकार की प्रवृत्ति है जो परजीवी को एक गाली के रूप में देखती है। सांप–बिच्छू जैसे जीवों के विपरीत कॉकरोच को छिपे हुए संक्रमण और उपेक्षित जगहों पर रहने से जोड़ा जाता है। उसका लिजलिजापन एक अजीब–सी अनुभूति उत्पन्न करता है।

देश के बेरोजगारों को परजीवी मानने–कहने का मतलब देश के एक करोड़ से अधिक युवाओं को नाकारा बतलाना है। उनका अपराध या पाप यही है कि हमारी व्यवस्था उन्हें रोजगार नहीं दे पायी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम आयोग और मानव विकास संस्थान के एक सर्वेक्षण के अनुसार पंद्रह से उन्तीस वर्ष की आयु वर्ग में आने वाले भारतीय युवाओं में 83 प्रतिशत बेरोजगार हैं। इन बेरोजगारों में से 67 प्रतिशत युवा स्नातक हैं। आंकड़े यह भी बताते हैं कि सनदृ 2000 की तुलना में आज यह संख्या दुगनी हो चुकी है। तब 35 प्रतिशत युवा बेरोजगार थे, आज 65 प्रतिशत से अधिक युवा रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं। आखिर क्यों? इस स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है? किसका दायित्व है इन युवाओं को रोजगार देना? फिर, जब इन युवाओं में से कुछ आर टी आई कार्यकर्ता बन जाते हैं, मीडियाकर्मी के रूप में काम करने लगते हैं या व्यवस्था के प्रति अपना गुस्सा अभिव्यक्त करते हैं तो उन्हें परजीवी कॉकरोच कहा जाता है! आखिर क्यों?

किसी को कॉकरोच कहने की इस मानसिकता के पीछे सिर्फ व्यक्तिगत आक्रोश नहीं होता। देश का मुख्य न्यायाधीश जब ऐसे शब्दों से अपना आक्रोश या अपनी पीड़ा व्यक्त करता है तो हमला व्यक्ति या स्थिति पर नहीं, लोकतंत्र की आत्मा पर होता है। सनदृ 2005 में देश में सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ था, तब से लेकर आज तक न जाने कितनी बार सरकार से उनकी संख्या मांगी गयी जो इस कार्य को करते हुए मारे गये, पर यह आंकड़े कभी सार्वजनिक नहीं हुए। गैर सरकारी संगठनों के अनुमान के अनुसार पिछले पच्चीस सालों में सौ से अधिक आरटीआई कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है। 'फ्री स्पीच कलेक्टिव' के अनुसार भारत में पिछले दो दशकों में पचास से अधिक पत्रकार पेशेवर कार्यों के कारण मारे जा चुके हैं। ऐसे लोगों को जब कोई कॉकरोच या परजीवी कहे तो दुख भी होना चाहिए और गुस्सा भी आना चाहिए। यह एक अच्छी बात है कि आज यह पीड़ा और क्षोभ उफन कर सामने आ रहा है। इस पीड़ा को समझने की आवश्यकता है, इसकी उपेक्षा करने की नहीं।

—लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।

जनस्वास्थ्य पर बाजार का बढ़ता कब्जा

—डॉ. प्रियंका सौरभ—

भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य केवल चिकित्सा सेवा का प्रश्न नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता और लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व का विषय भी है। किसी भी राष्ट्र की प्रगति उसके नागरिकों के स्वास्थ्य स्तर से मापी जाती है। यदि समाज का बड़ा हिस्सा उपचार, दवाइयों, पोषण और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित रह जाए, तो आर्थिक विकास के दावे खोखले साबित होते हैं। दुर्भाग्य से पिछले कुछ दशकों में भारत सहित विश्व के अनेक देशों में स्वास्थ्य क्षेत्र का तेजी से बाजारीकरण हुआ है। स्वास्थ्य सेवा, जो मूलतः मानव अधिकार मानी जानी चाहिए थी, धीरे–धीरे लाभ कमाने वाले उद्योग में बदलती चली गई। निजी अस्पतालों, महंगी दवाओं, बीमा–आधारित उपचार और कॉरपोरेट चिकित्सा व्यवस्था ने आम नागरिक, विशेषकर गरीब और ग्रामीण वर्ग, को स्वास्थ्य सुविधाओं से दूर कर दिया है। ऐसे समय में भारतीय राज्य की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है कि वह सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करे और जमीनी स्तर तक उसकी पहुँच सुनिश्चित करे।

भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या असमानता है। महानगरों में अत्याधुनिक अस्पताल और सुपर–स्पेशियलिटी सुविधाएँ उपलब्ध हैं, जबकि दूरदराज ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक पर्याप्त डॉक्टर, दवाइयाँ और उपकरण नहीं हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता और पहुँच किसी भी लोकतांत्रिक राज्य की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है। लेकिन भारत में स्थिति यह है कि लाखों लोग केवल आर्थिक अभाव के कारण उपचार नहीं करा पाते। निजी अस्पतालों का खर्च इतना अधिक है कि एक गंभीर बीमारी पूरे परिवार को गरीबी में धकेल सकती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य खातों की रिपोर्टें बताती हैं कि भारत में स्वास्थ्य पर होने वाला "आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर" अभी भी बहुत अधिक है। इसका अर्थ है कि लोगों को इलाज का बड़ा हिस्सा अपनी जेब से देना पड़ता है। यही बाजारीकरण का सबसे खतरनाक परिणाम है।

सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए सबसे पहले राज्य को प्राथमिक स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करना होगा। भारत के गाँवों और छोटे कस्बों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ माने जाते हैं। लेकिन अधिकांश केंद्रों में डॉक्टरों की कमी, दवाइयों का अभाव, खराब भवन और उपकरणों की कमी जैसी समस्याएँ बनी रहती हैं। सरकार को स्वास्थ्य बजट में पर्याप्त वृद्धि करके इन संस्थानों को आधुनिक सुविधाओं से लैस करना चाहिए। प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में नियमित डॉक्टर, प्रशिक्षित नर्सें, लैब सुविधाएँ और आवश्यक दवाइयाँ उपलब्ध कराना अनिवार्य होना चाहिए। यदि प्राथमिक स्तर पर ही रोगों की पहचान और उपचार संभव हो जाए, तो बड़े अस्पतालों पर दबाव कम होगा और गरीब लोगों को शहरों की ओर पलायन नहीं करना पड़ेगा।

इसके साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं का विकेंद्रीकरण भी आवश्यक है। केवल जिला अस्पतालों पर निर्भर रहने से दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। राज्य सरकारों को पंचायत स्तर तक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करना चाहिए। आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सेवाएँ और सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेवकों को मजबूत बनाकर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य जागरूकता और प्राथमिक उपचार को बढ़ावा दिया जा सकता है। कोविड–19 महामारी के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होती है। यदि इन कार्यकर्ताओं को बेहतर प्रशिक्षण, सम्मानजनक वेतन और संसाधन उपलब्ध कराए जाएँ, तो वे स्वास्थ्य सेवाओं को घर–घर तक पहुँचाने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में तकनीक का उपयोग भी जमीनी स्तर पर पहुँच बढ़ाने का प्रभावी माध्यम बन सकता है। टेलीमेडिसिन, मोबाइल हेल्थ यूनिट्स और डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड जैसी व्यवस्थाएँ दूरदराज क्षेत्रों में विशेषज्ञ सेवाएँ उपलब्ध कराने में सहायक हो सकती हैं। भारत में कई ऐसे गाँव हैं जहाँ विशेषज्ञ डॉक्टरों का पहुँचना कठिन है। ऐसे क्षेत्रों में ऑनलाइन परामर्श और डिजिटल डायग्नोस्टिक सेवाएँ महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। हालांकि तकनीक को मानव संपर्क का विकल्प नहीं, बल्कि सहयोगी माध्यम के रूप में विकसित करना होगा। डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के साथ स्थानीय स्वास्थ्य कर्मियों की उपस्थिति भी जरूरी है ताकि कम साक्षरता वाले लोग भी इन सुविधाओं का लाभ उठा सकें।

सस्ती और सार्वभौमिक दवा उपलब्धता भी सार्वजनिक स्वास्थ्य विस्तार का एक आवश्यक पहलू है। निजी बाजार में दवाइयों की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। राज्य को जनऔषधि केंद्रों का विस्तार करना चाहिए और आवश्यक दवाओं की मूल्य–नियंत्रण नीति को प्रभावी ढंग से लागू करना चाहिए। गरीब और निम्न मध्यम वर्ग के लोगों के लिए मुफ्त या अत्यंत सस्ती दवाओं की उपलब्धता स्वास्थ्य असमानता को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इसके साथ ही सरकारी अस्पतालों में आवश्यक जाँच सुविधाएँ और दवाइयाँ निरूशुल्क उपलब्ध कराई जानी चाहिए ताकि लोगों को निजी प्रयोगशालाओं और मेडिकल स्टोरों पर निर्भर न रहना पड़े।

भारत में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए मानव संसाधन की कमी भी एक बड़ी चुनौती है। ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों और विशेषज्ञों की भारी कमी बनी रहती है क्योंकि अधिकांश चिकित्सक शहरी क्षेत्रों में कार्य करना पसंद करते हैं। इस समस्या के समाधान के लिए सरकार को ग्रामीण सेवा को प्रोत्साहित करने वाली नीतियाँ बनानी चाहिए। मेडिकल छात्रों के लिए ग्रामीण सेवा अनिवार्य करना, बेहतर वेतन, आवास और सुरक्षा सुविधाएँ देना तथा स्थानीय युवाओं को चिकित्सा शिक्षा में अवसर प्रदान करना उपयोगी कदम हो सकते हैं। यदि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय समुदाय से जुड़े डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी तैयार किए जाएँ, तो स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिरता और विश्वसनीयता दोनों बढ़ेंगी।

सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवारक स्वास्थ्य देखभाल को भी प्राथमिकता देनी होगी। भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था अभी भी रोग होने के बाद उपचार पर अधिक केंद्रित है, जबकि स्वच्छता, पोषण, टीकाकरण और स्वास्थ्य शिक्षा जैसे क्षेत्रों में निवेश अपेक्षाकृत कम है। यदि राज्य स्वच्छ पेयजल, पोषण कार्यक्रम, मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता और नियमित स्वास्थ्य परीक्षण जैसी योजनाओं को मजबूत करे, तो अनेक बीमारियों को प्रारंभिक स्तर पर ही रोका जा सकता है। यह न केवल लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाएगा बल्कि स्वास्थ्य व्यवस्था पर आर्थिक बोझ भी कम करेगा।

राज्य को निजी स्वास्थ्य क्षेत्र के नियमन में भी सक्रिय भूमिका निभानी होगी। निजी अस्पतालों की मनमानी फीस, अनावश्यक जाँच और व्यावसायिक शोषण आम समस्या बन चुकी है। कई बार मरीजों की मजबूरी को लाभ कमाने के साधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। सरकार को एक मजबूत नियामक ढांचा विकसित करना चाहिए जो उपचार शुल्क, दवाइयों की कीमत और चिकित्सा नैतिकता की निगरानी कर सके। स्वास्थ्य सेवा को केवल बाजार के भरोसे छोड़ देना लोकतांत्रिक राज्य की जिम्मेदारी से पीछे हटने जैसा होगा।

स्वास्थ्य बीमा योजनाओं की प्रभावशीलता बढ़ाना भी जरूरी है। आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं ने गरीब परिवारों को राहत प्रदान की है, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में लोग इनके दायरे से बाहर हैं। कई बार बीमा योजनाएँ केवल अस्पताल आधारित उपचार तक सीमित रह जाती हैं और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को पर्याप्त महत्व नहीं मिलता। राज्य को यह सुनिश्चित करना होगा कि स्वास्थ्य बीमा योजनाएँ केवल उपचार नहीं, बल्कि रोकथाम, पोषण और प्राथमिक देखभाल को भी शामिल करें।

जानलेवा होती गर्मी का दुष्प्रभाव

—कमलेश पाण्डेय —

विभिन्न अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट्स के अनुसार, इस सीजन 27 अप्रैल और 19 मई दो ऐसे दिन रहे, जब धरती के सबसे ज्यादा गर्म 50 शहरों में सभी भारत के थे। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट हमें चेताती है कि देश के 50ः से ज्यादा शहरों में भीषण गर्मी का खतरा श्अधिकश् से लेकर श्बेहद अधिकश् के स्तर तक पहुंच चुका है।हमारे देश का राजनीतिक तापमान तो वर्षपर्यंत उच्च रहता आया है और चुनावी इलाकों में इसके वैचारिक हीट स्ट्रोक से सिस्टम का झुलसना स्वाभाविक माना जाता है। लेकिन जब मई–जून के महीने में मौसमी तापमान जानलेवा स्तर तक खतरनाक रूप से चढ़ता जाता है तो लोग बाग परेशान हो उठते हैं। फिर अपनी राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक गलतियों पर पछतावा के अलावा कुछ नहीं मिलता, क्योंकि विकास के नाम पर आधुनिक भारतीय सभ्यता विनाश की ओर बढ़ती चली जा रही है और पश्चिमी शिक्षा प्राप्त हमारे हुक्मरान तमाशबीन बने बैठे हैं, क्योंकि हरेक आपदा को अवसरों में बदलकर अपनी कमाई बढ़ाने का धंधा उन्होंने सीख लिया है। बेशक अपवाद भी होंगे, लेकिन अल्पमत में, जिनकी लोकतंत्र में कम कद्र होती आई है।

वहीं, भारत में बढ़ती खतरनाक गर्मी केवल "मौसमी बदलाव" नहीं है, बल्कि जलवायु परिवर्तन, तेजी से शहरीकरण, जंगलों की कटाई और प्रदूषण का संयुक्त परिणाम बन चुकी है। हाल के वर्षों में उत्तर भारत, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य भारत में 46 ब्द्48 ब्तक तापमान दर्ज हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, देश का एक बड़ा हिस्सा इस समय भट्ठी बना हुआ है। हमारे शहर हीट आइलैंड में तब्दील होते जा रहे हैं। उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत तक, ज्यादातर शहरों में औसत तापमान सामान्य से 3–5 डिग्री सेल्सियस ऊपर चल रहा है। कहीं कहीं तो पिछले 14–15 वर्षों के रिकॉर्ड टूट चुके हैं। कोढ़ में खाज यह कि फिलहाल राहत के संकेत नहीं है, क्योंकि अल–नीनो की वजह से मौसम आगे और कड़ी परीक्षा ले सकता है।

अलबत्ता आप मानें या न मानें, लेकिन गर्मी की बढ़ती प्रवृति में भविष्य के लिए सबसे बड़ा संदेश छिपा हुआ है। वह यह कि यदि विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन नहीं बनाया गया तो भारत में गर्मी केवल असुविधा नहीं बल्कि "राष्ट्रीय स्वास्थ्य और आर्थिक संकट" बन सकती है। लिहाजा, आने वाले वर्षों में जल संरक्षण, हरित विकास और स्वच्छ ऊर्जा ही सबसे बड़े समाधान होंगे। विभिन्न अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट्स के अनुसार, इस सीजन 27 अप्रैल और 19 मई दो ऐसे दिन रहे, जब धरती के सबसे ज्यादा गर्म 50 शहरों में सभी भारत के थे। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट हमें चेताती है कि देश के 50ः से ज्यादा शहरों में भीषण गर्मी का खतरा श्अधिकश् से लेकर श्बेहद अधिकश् के स्तर तक पहुंच चुका है। और तो और, साल 2015 से 2020 के दरम्यान लू वाले दिनों का औसत 7.4 दिन से बढ़कर 32.2 दिन हो गया है, और यह लगातार बढ़ रहा है। इसका गहरा दुष्प्रभाव हमारी सेहत और अर्थव्यवस्था दोनों पर पड़ने के आसार प्रबल हैं।

हमारे शहरों पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं, क्योंकि वो अंधाधुंध विकास की होड़ में अपनी हरियाली उजाड़कर उन्हें कंक्रीट के जंगलों में तब्दील करते जा रहे हैं। लिहाजा, भारत में गर्मी अब हर साल एक नया रेकॉर्ड बना रही है। चिंताजनक बात यह है कि दिन तो तपते ही हैं, अब रातें भी तपने लगी हैं और राहत देने वाली नहीं रहीं। इस 20 मई को दिल्ली ने मई महीने में 13 साल की सबसे गर्म रात देखी, जब न्यूनतम तापमान सामान्य से 5.2 डिग्री सेल्सियस ऊपर रहा। 21 मई को स्थिति उससे भी ज्यादा बुरी हुई।इस प्रकार से हाल के बरसों में हीटवेव की तीव्रता, उसका समय और सीमा अभूतपूर्व रूप से बढ़े हैं। इससे शहरों पर संकट ज्यादा है, जो घटती हरियाली, बढ़ते कंक्रीट स्ट्रक्चर और प्रदूषण की वजह से अर्बन हीट आईलैंड इफेक्टश झेल रहे हैं।

पुलिस ने 09 शातिर अपराधियों को दबोचा, 46 खातों से देशभर में हो रही थी ठगी, 14.87 करोड़ रुपये फ्रीज

संवाददाता—गोण्डा। साइबर सेल ने बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने करोड़ों रुपये की ऑनलाइन ठगी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के 09 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से भारी मात्रा में बैंक दस्तावेज, एटीएम किट, मोबाइल फोन और अन्य सामग्री बरामद हुई है। पुलिस ने विभिन्न बैंक खातों में जमा करीब 14 करोड़ 87 लाख रुपये की धनराशि भी फ्रीज कराई है। पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल के निर्देशन में साइबर सेल प्रभारी संजय कुमार गुप्ता की टीम ने यह कार्रवाई की। तकनीकी विश्लेषण और बैंक खातों की जांच के आधार पर पुलिस ने गिरोह के सक्रिय सदस्यों को पकड़ने में सफलता हासिल की। गिरफ्तार अभियुक्तों में अमन सिंह, कुलदीप वर्मा, रोहित सिंह, सूरज कुमार सिंह, मोहित सिंह, रंजीत कुमार, मोहम्मद आरिफ, मोहम्मद समीर और आलोक गुप्ता शामिल हैं। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने, बैंक खाता खुलवाने और अन्य प्रलोभन देकर उनके खाते, पासबुक और एटीएम कार्ड अपने कब्जे में ले लेते थे। इसके बाद उन्हीं खातों का इस्तेमाल साइबर ठगी, ऑनलाइन गेमिंग और फर्जी ट्रेडिंग के जरिये आए पैसों के लेन–देन में किया जाता था।

पुलिस जांच में सामने आया कि गिरोह ने फर्जी आधार और पैन कार्ड के जरिये भी कई बैंक खाते खुलवाए थे। ठगी की रकम निकालकर गिरोह के सदस्य आपस में बांट लेते थे। प्रत्येक सदस्य को 40 से 60 प्रतिशत तक कमीशन दिया जाता था। जांच में कुल 46 बैंक खाते सामने आए हैं। इनमें से 17 खातों पर राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर 212 शिकायतें दर्ज मिलीं।

शिकायतें दिल्ली, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और ओडिशा सहित कई राज्यों से जुड़ी हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 347 पासबुक, 177 एटीएम किट, 22 आधार कार्ड, 09 पैन कार्ड, 10 मोबाइल फोन, दो चेकबुक, तीन सिम कार्ड, दो स्टांप, एक वोटर आईडी, तीन बाइक और 20,290 रुपये नकद बरामद किए हैं।

रिश्तेदारी की नाबालिग से निकाह की जिद, युवक ने खाईं 30 गोलियां

संवाददाता—महराजगंज। श्यामदीउरवां क्षेत्र के सिरसिया मलमलिया में एक युवक ने निकाह की जिद पूरी न होने पर खौफनाक कदम उठा लिया। 18 वर्षीय अपनी ही रिश्तेदारी की एक नाबालिग लड़की से निकाह करने की जिद पर अड़ा था। युवक के इस फैसले के खिलाफ उसके अपने परिजनों के साथ–साथ लड़की के घर वाले भी आ खड़े हुए। दोनों पक्षों के कड़े विरोध के कारण वह मानसिक रूप से काफी परेशान चल रहा था। इसी बात से नाराज होकर उसने शुक्रवार की शाम कथित रूप से नशे की दवा की करीब 30 गोलियां निगल लीं। दवा खाने के बाद जब युवक की तबीयत बिगड़ने लगी तो हड़कंप मच गया। परिजन उसे तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परतावल ले गए, जहां देर रात तक उसका इलाज चला। रात करीब 12 बजे डॉक्टर ने उसे घर भेज दिया, लेकिन शनिवार की सुबह उसकी हालत और अधिक बिगड़ गई। परिजन उसे दोबारा आनन–फानन में सीएचसी परतावल लेकर भागे। इमरजेंसी में तैनात चिकित्सकों ने जांच के दौरान पाया कि अत्यधिक नशीली गोलियों के सेवन के कारण युवक को होश नहीं आ रहा था। उसका रक्तचाप भी सामान्य स्तर पर नहीं था। हालत बेहद नाजुक देखते हुए डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए तत्काल मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया।

भाई के साथ बाइक से जा रही महिला को मिट्टी लदी ट्रैक्टर–ट्रॉली ने रौंदा, मौत

संवाददाता—महराजगंज। सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के सवना गांव में तेज रफ्तार मिट्टी लदी ट्रैक्टर–ट्रॉली ने एक बाइक सवार महिला को रौंद दिया। इससे मौके पर ही महिला ने दम तोड़ दिया, वहीं भाई घायल है। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। ट्रैक्टर–ट्राली पुलिस के कब्जे में है। चालक को हिरासत में लेकर पुलिस विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक दरौली निवासिनी सपना भारती (31) अपने भाई प्रमोद के साथ बाइक पर बैठकर अपनी मौसी के घर सवना सवरेजी जा रही थी। जैसे ही वह गांव के बाहर पहुंची उसी दौरान तेज रफ्तार मिट्टी लदी ट्रैक्टर–ट्रॉली ने बाइक को टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि ट्राली महिला के सिर से होते हुए गुजर गई। इससे मौके पर ही उसने दम तोड़ दिया। सपना की शादी दस वर्ष पहले दरौली निवासी पवन के साथ हुई थी।

हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने ट्रैक्टर–ट्राली को रोककर गांव में ही धरना शुरू कर दिया। आरोप है कि घटना के विरोध में परिजन व ग्रामीण शव लेकर जिला मुख्यालय आ रहे थे। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस रास्ते में ही शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। इस दौरान कहासुनी भी हुई। पुलिस कर्मियों ने त्वरित कार्रवाई का आश्वासन देकर मामला शांत कराया। कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक निर्भय कुमार सिंह ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है। ट्रैक्टर–ट्राली पुलिस के कब्जे में है।

सामूहिक अवकाश पर रहे अधिवक्ता, सौंपा ज्ञापन

संवाददाता—श्रावस्ती। लखनऊ में अधिवक्ताओं पर हुए लाठी चार्ज के विरोध व एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग को लेकर माडल डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मिनगा के अधिवक्ता शनिवार को सामूहिक अवकाश पर रहे। इस दौरान अधिवक्ताओं ने मुख्यमंत्री को सम्बोधित एक ज्ञापन अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को सौंपा। डिप्टी कलेक्टर प्रवीण यादव को सौंपे ज्ञापन में मॉडल डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने कहा है कि लखनऊ में अतिक्रमण के नाम पर अधिवक्ताओं का चौंबर तोड़ा गया। इस दौरान शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन कर रहे अधिवक्ताओं पर बर्बरता पूर्वक लाठी बरसाया गया। जिससे अधिवक्ताओं में रोष है, इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते है।

लखनऊ की इस घटना के बाद अब अधिवक्ता प्रोटेक्शन बिल आवश्यक हो गया है, जिसे तत्काल लागू किया जाए। साथ ही लाठीचार्ज के दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की जाय। इस मौके पर अध्यक्ष सुरेश चंद तिवारी, महामंत्री सतीश कुमार मौर्य सहित काफी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे।

निर्माणाधीन स्कूलों का डीएम ने किया निरीक्षण

संवाददाता—श्रावस्ती। मुख्यमंत्री कम्पोजिट अभ्युदय व मुख्यमंत्री कम्पोजिट मॉडल विद्यालय का निर्माण चल रहा है। जिसका डीएम ने निरीक्षण किया। उन्होंने समय से निर्माण कार्य पूरा करने के साथ ही अन्य जरूरी निर्देश दिए। जिलाधिकारी अन्नपूर्णा गर्ग ने नगर पालिका परिषद भिनगा क्षेत्र में बन रहे मुख्यमंत्री कम्पोजिट अभ्युदय व मुख्यमंत्री कम्पोजिट मॉडल विद्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण एवं निर्धारित समय सीमा में पूर्ण कराया जाय। कार्यदायी संस्था के अवर अभियन्ता ने बताया कि माह जून 2026 तक कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।

अदालती नोटिस

प्रारूप 7

(देखे नियम—11 (1)

घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा—12 (1) के अधीन हाजिर होने के लिए सूचना अदालत—श्रीमान जे0एम0 / एफ0 टी0 सी0 (सी0ए0डब्ल्यू0) महोदय बस्ती जिला—बस्ती

घरेलू हिंसा वाद संख्या—51 / 2026

थाना—छपिया

जिला—गोण्डा

जैनब खान

बनाम

डा0 इसरार अहमद आदि

1— डा0 इसरार अहमद पुत्र अब्दुल मन्नान साकिन हथियागढ़ थाना छपिया जनपद गोण्डा हाल मुकाम हेल्थ केयर पाली क्लीनिक हथियागढ़ बाजार थाना छपिया जनपद गोण्डा

2— अब्दुल मन्नान पुत्र स्व0 मोहम्मद मुनीर 3— साफिया पत्नी अब्दुल मन्नान 4— अली अहमद पुत्र अब्दुल मन्नान 5— रफी अहमद पुत्र अब्दुल मन्नान 6— इम्तियाज पुत्र अब्दुल मन्नान 7— आसिफा पुत्री अब्दुल मन्नान 8— आशिया पुत्री अब्दुल मन्नान निवासीगण हथियागढ़ थाना छपिया, जिला गोण्डा। 9 सोनू उर्फ अब्दुल नसीम पुत्र स्व0 अब्दुल सत्तार साकिन चाँदा बुजुर्ग थाना पैकोलिया जनपद बस्ती।

—विपक्षीगण

तारीख पेशी 02—06—2026

याची ने घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 (2005 का 43) की धारा— 12 के अधीन आवेदन फाइल किया है / किये है। आपको यह कारण बताने के लिए कि क्यों न आवेदक द्वारा मांगे गये (अनुतोषो) को आपके विरूद्ध प्रदान कर दिया जाय व्यक्तिगत रूप से या सम्यक रूप से प्राधिकृत काउन्सेल के मार्फत तारीख 02 मास 06 सन् 2026 को बजे पूर्वान्ह / अपरान्ह में इस न्यायालय के समक्ष हाजिर होने का निर्देश दिया जाता है। इसमे असफल होने पर न्यायालय एक पक्षीय कार्यवाही करेगा। मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा के अधीन तारीख को दी गयी।

द0 हाकिम

गैस सिलेंडर की किल्लत पर फूटा सभासदों का गुस्सा

संवाददाता—बलरामपुर। घरेलू गैस सिलेंडरों की किल्लत से परेशान उपभोक्ताओं की समस्या को लेकर शनिवार को नगर के सभासदों ने जिला पूर्ति कार्यालय का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया। सभासदों ने गैस एजेंसियों के कर्मचारियों पर अवै ा वसूली का आरोप लगाते हुए जिला पूर्ति अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर तत्काल समस्या समाधान की मांग की। प्रदर्शन के दौरान सभासद नारेबाजी करते हुए जिला पूर्ति कार्यालय परिसर में धरने पर बैठ गए। जिला पूर्ति अधिकारी के पहुंचने पर सभासदों ने अपनी समस्याएं विस्तार से रखीं। सभासद नंदलाल तिवारी ने कहा कि गैस सिलेंडर की किल्लत से आम जनता परेशान है। मोहल्लों के लोग रोज शिकायत लेकर उनके पास पहुंच रहे हैं, जिससे जनप्रतिनिधियों को भी जवाब देना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने विभाग से तत्काल व्यवस्था सुधारने की मांग की। सभासद राघवेंद्र कांत सिंह 'मंटू' ने आरोप लगाया कि बिभागीय एजेंट उपभोक्ताओं से अतिरिक्त धन उगाही कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द समस्या का समाधान नहीं हुआ तो नगर पालिका के सभी सभासद बड़ा धरना—प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे। वहीं खालवा वार्ड के सभासद संदीप मिश्रा ने कहा कि भीषण गर्मी में महिलाओं और बुजुर्गों को गैस सिलेंडर के लिए लंबी लाइन में लगना पड़ रहा है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने प्रशासन से तत्काल राहत दिलाने की मांग की। इस दौरान गीता देवी, शुभम चौधरी, सुशील कुमार साहू, सभासद प्रतिनिधि मनीष तिवारी, विनोद गिरि सहित तमाम सभासद मौजूद रहे।

लू और चिलचिलाती धूप से किया घरों में कैद, खूब सता रही गर्मी

संवाददाता—श्रावस्ती। भीषण गर्मी और लू के कारण घरों से निकलना मुश्किल हो रहा है। शनिवार को भीषण गर्मी के कारण लोग परेशान रहे। यहां तक कि पेड़ों की छांव के नीचे भी लोगों को गर्मी और लू के थपेड़ों के कारण राहत नहीं मिली। ऐसे में गर्मी जनित बीमारियां भी बढ़ रही हैं। चिलचिलाती धूप और लू के थपेड़ों के कारण घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। वहीं घरों में रहने पर भी गर्मी खूब सताती है। घरों में चलने वाले पंखे गर्म हवा देते हैं। यह दौर सुबह 10 बजे से शुरू हो जाता है और शाम पांच बजे तक बना रहता है। शुक्रवार को सुबह 10 बजे के बाद से घरों से निकलना मुश्किल हो गया। बाहर निकलने पर त्वचा झुलसाने वाली धूप परेशान कर रही थी। वहीं गर्मी हवा भी परेशान कर रही थी। गर्मी के कारण दोपहर में सड़कें सूनी हो जाती हैं। जरूरी होने पर जो लोग निकलते हैं वे सुरक्षा का ध्यान रखते हैं। गर्मी से बचने के लिए लोग पेड़ों की छांव में शरण लेते हैं। लेकिन लू के थपेड़ों के कारण वहां भी राहत नहीं मिलती है लगातार बढ़ती गर्मी और लू लोगों की सेहत पर बुरा असर डाल रही है तेज धूप और ऊंचे तापमान की वजह से लोगों में कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं देखने को मिल रही हैं। डॉक्टरों का कहना है कि घर को ठंडा बनाए रखें रात में खिड़कियां खोलकर रखें। यश हॉस्पिटल के बाल रोग विशेषज्ञ डॉ एके मिश्रा ने कहा कि धूप में सीधे निकलने से बचना चाहिए। दोपहर 11 बजे से सायं 5 बजे तक सूर्य की गर्मी अपने चरम पर होती है। यदि लोगों को इस दौरान बाहर जाना ही पड़े तो उन्हें खुद को ठीक से ढकना चाहिए। अपने सिर को ढकने के लिए छाते या किसी और चीज का इस्तेमाल करें। साथ ही शरीर में पानी की कमी न होने देने के लिए ओआरएस का पानी, लस्सी आदि पीते रहें। हल्के कपड़े पहनें ऐसे कपड़े पहने जो पसीना आने में सहायक हों। बच्चों को बाहर का जंक फूड या बासी खाना बिल्कुल न खिलाएं। बच्चों को मौसमी फल जैसे तरबूज, खरबूजा और खीरा खिलाएं जो शरीर को अंदर से ठंडा रखते है। ऐसे उपाय लोगों को खुद को बचाने में मदद करेंगे। डॉ अंकित अग्रवाल ने बताया कि लू चलने से शरीर के कार्य प्रभावित हो सकते हैं और सबसे खराब स्थिति में अंगों का काम करना बंद हो सकता है। वहीं सूर्य की गर्म तीव्र किरणें हानिकारक हो सकती हैं और शरीर में बीमारियों का खतरा बढ़ा सकती हैं यदि बाहर जाना बहुत जरूरी हो तो हल्के रंग के ढीले–ढाले और सूती (कॉटन) कपड़े पहनें। आंखों की सुरक्षा के लिए धूप का चश्मा (सनग्लास) का इस्तेमाल करें। तेज धूप से आने पर तुरंत ठंडा पानी न पीये। ऐसे में जो मरीज कैंसर, गुर्दे और हृदय संबंधी बीमारियों जैसी स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं वे हर हाल में सीधी धूप से बचें।

शुक्ला मंदिर संपत्ति विवाद में सरजू दास, रामप्रवेश दास सहित तीन लोगों पर मुकदमा दर्ज

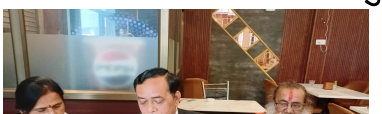

जांच करके अपराधियों को जेल भेजा जाए—महंत सियाराम दास

—भारतीय बस्ती संवाददाता—

अयोध्या।श्रीराम मंदिर फैसले के बाद रामनगरी अयोध्या में जमीन और मंदिर संपत्तियों को लेकर विवाद लगातार बढ़ते जा रहे हैं। करोड़ों रुपये की जमीनों पर कब्जा, फर्जी दस्तावेज और उत्तराधिकार को लेकर आए दिन नए मामले सामने आ रहे हैं। अब ऐसा ही एक बड़ा मामला शुक्ल मंदिर की संपत्ति को लेकर सामने आया है, जिसमें कोतवाली अयोध्या पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी, कूट रचना और आपराधिक षड्यंत्र की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। इस पूरे प्रकरण ने एक बार फिर अयोध्या की धार्मिक संपत्तियों की सुरक्षा और उनके प्रबंधन पर सवाल खड़े कर दिए हैं।महंत सियाराम दास की तहरीर पर दर्ज एफआईआर के अनुसार, वह शुक्ल मंदिर और उससे जुड़ी अयोध्या, लखनऊ तथा बाराबंकी की संपत्तियों के सर्वराकार और देखरेख कर्ता हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्ष 1991 में बनाई गई सर्वराकार डीड को वर्ष 1995 में निरस्त कर दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद महंत सरजूदास ने खुद को अधिकार संपन्न बताते हुए मंदिर की संपत्तियों को बेचने और हस्तांतरित करने का प्रयास शुरू कर दिया।

शिकायत के मुताबिक, 12 मार्च 2026 को गाटा संख्या 6क एवं 50ज स्थित मांझा मीरापुर द्वाबा की संपत्ति से संबंधित भवन का फर्जी सर्वराकार डीड सब रजिस्ट्रार कार्यालय में महंत राम प्रवेश दास के पक्ष में निष्पादित कराया गया। जबकि नगर निगम अभिलेखों में उक्त संपत्ति महंत सियाराम दास के नाम दर्ज बताई गई है।इस मामले में महंत सरजूदास, महंत राम प्रवेश दास, महंत हरिदास, गवाह हैप्पी कुमार और डॉ. देवेंद्र दीक्षित उर्फ अन्द को आरोपी बनाया गया है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 319(2), 318(4), 338, 336(3) और 340(2) के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। विवेचना उपनिरीक्षक ओमप्रकाश को सौंपी गई है।

महंत सियाराम दास ने आरोप लगाया कि जेल से बाहर आने के बाद महंत सरजूदास ने आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों से मिलकर मंदिर की संपत्तियों पर कब्जे और फर्जीवाड़े का प्रयास शुरू किया। उन्होंने कहा कि इस मामले को उठाने के बाद उन्हें जान–माल का खतरा भी महसूस हो रहा है। महंत सियाराम दास ने कहा कि प्रशासन ने बहुत सहयोग किया, अब मैं चाहता हूं कि निष्पक्ष जांच करके जल्द से जल्द अपराधियों को जेल भेजा जाए। क्योंकि मंदिर की अन्य संपत्तियों पर भी अवैध कब्जे और फर्जी दस्तावेजों के जरिए हेराफेरी की आशंका बनी रहेगी।फिलहाल पुलिस दस्तावेजों की वैधता, संपत्ति हस्तांतरण और आर्थिक लेनदेन से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है। रामनगरी में मंदिर संपत्तियों को लेकर बढ़ते विवादों के बीच यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है।

डुप्लीकेट मतदाताओं के सत्यापन के बाद शुरू हुई फीडिंग

संवाददाता—बलरामपुर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में संभावित डुप्लीकेट मतदाताओं को चिन्हित करने के बाद उनके सत्यापन का कार्य तेजी से कराया जा रहा है। सत्यापन के बाद अब मतदाताओं की फीडिंग का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। सदर ब्लॉक क्षेत्र की 116 ग्राम पंचायतों में कुल 72,677 मतदाताओं का सत्यापन कराया जाना था। अब तक 85 गांवों में लगभग 50 हजार मतदाताओं का सत्यापन कार्य पूरा हो चुका है।खंड विकास अधिकारी सदर संजय कुमार ने बताया कि पंचायत चुनाव की मतदाता सूची को शुद्ध और त्रुटिरहित बनाने के लिए संभावित डुप्लीकेट मतदाताओं का तीसरी बार सत्यापन कराया जा रहा है।

बीएलओ के माध्यम से घर–घर जाकर सत्यापन कार्य कराया गया है। उन्होंने बताया कि सत्यापन पूरा होने के बाद मतदाताओं की फीडिंग का कार्य ब्लॉक कार्यालय में कराया जा रहा है। इसके लिए 20 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। इनमें तीरथ राम, मोहम्मद वसीम, हेमंत कुमार, दिनेश कुमार शुक्ला, उमर अली, रामप्रकाश तिवारी और रामकृपाल समेत अन्य कर्मचारी शामिल हैं। बीडीओ ने बताया कि मतदाताओं की फीडिंग का कार्य 12 मई से 28 मई तक चलेगा। प्रशासन का प्रयास है कि पंचायत चुनाव से पहले मतदाता सूची को पूरी तरह अद्यतन और पारदर्शी बनाया जा सके।

राजा राम गोपाल लॉ.कालेज, ड्योढी सोहावल अयोध्या

(एल.एल.बी. पंचवर्षीय) में आवश्यकता है

स्नातक स्तर पर विधि संकाय के अन्तर्गत (एल.एल.बी. पंचवर्षीय) पाठ्यक्रम में एल.एल.बी. प्रवक्ता 4 पद तथा (एल.एल.बी. पंचवर्षीय) पाठ्यक्रम के अन्तर्गत (अर्थशास्त्र, अंग्रेजी, इतिहास, राजनीति शास्त्र, मनोविज्ञान एवं समाजशास्त्र) विषयों में— 01— 01 प्रवक्ताओं की आवश्यकता है। **योग्यता एवं वेतनमानः**— यूजीसी एवं राज्य विश्वविद्यालय के मानकानुसार। इच्छुक अभ्यर्थी 14 कार्य दिवस के अन्दर अपने समस्त अंक पत्रों एवं प्रमाण–पत्रों की दो स्व हस्ताक्षरित प्रतियों एवं दो पासपोर्ट साइज फोटो एवं दो स्वपता लिखे लिफाफे के साथ कालेज के उपरोक्त पते पर आवेदन करें।

प्रबन्धक, राम गोपाल सिंह — मो0 8840063283, 8808750268

25 हजार का इनामी गो–तस्कर कलामुद्दीन उर्फ कलुआ को पुलिस ने दबोचा

संवाददाता—महराजगंज। जनपद में अपराधियों व वांछितों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान में बरगदवा पुलिस टीम ने गोवध निवारण अधिनियम से संबंधित 25 हजार रुपये के शातिर इनामी वांछित आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। बरगदवा पुलिस ने बीते 20 जनवरी को इस संबंध में केस दर्ज किया था। विवेचना में नाम आने के बाद से कलामुद्दीन उर्फ कलुआ फरार चल रहा था। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुरस्कार घोषित किया गया था। इसके बाद महराजगंज के अलावा कुशीनगर की पुलिस भी उसे सरगर्मी से तलाश कर रही थी।

पुलिस कार्यालय के मुताबिक बरगदवा पुलिस ने बीते 20 जनवरी को भोर में साढ़े चार बजे सेमरहा गांव के पास घेराबंदी की थी। इस दौरान कुशीनगर जिले के आरटीओ में पंजीकृत नंबर की एक पिकअप पलट गई थी। चालक व अन्य आरोपित अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए थे। पिकअप में आठ गोवंशीय पशु क्रूरतापूर्वक लादे गए थे, जिनमें से तीन गाय व एक बछड़े की मौत हो गई थी। एक गाय व तीन बछड़े स्वस्थ मिले थे। बरामद पशुओं को गोसदन मधवलिया भेजा गया था।

इस मामले में बरगदवा पुलिस ने अज्ञात आरोपितों के खिलाफ उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम व पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया था। विवेचना के दौरान कलामुद्दीन उर्फ कलुआ का नाम प्रकाश में आया था। प्रभारी निरीक्षक धनन्जय कुमार राय के नेतृत्व में एसआई शिक्षितानन्द, ओमप्रकाश यादव, कांस्टेबल राहुल कुमार व कांस्टेबल गौरव कुमार सोनकर की पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर आरोपित को दबोच लिया।

पकड़ा गया आरोपित कलामुद्दीन उर्फ कलुआ उर्फ कमालुद्दीन पुत्र भूलई, कुशीनगर जनपद के थाना हनुमानगंज के ग्राम दरगौली जरलहिया टोला का निवासी है। करीब 48 वर्षीय कलुआ एक शातिर अपराधी है। उसके खिलाफ जनपद कुशीनगर व महराजगंज के विभिन्न थानों में हत्या, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट व गोवध निवारण अधिनियम जैसे गंभीर अपराधों के कुल सात मुकदमे पंजीकृत हैं। इसमें कुशीनगर के कोतवाली पडरौना व हनुमानगंज एवं महराजगंज के कोतवाली व बरगदवा थाने में मामले दर्ज हैं।

वांछित व फरार आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में बरगदवा पुलिस ने गोवध व पशु क्रूरता अधिनियम में फरार आरोपित कलामुद्दीन उर्फ कलुआ को गिरफ्तार किया। उसकी गिरफ्तारी पर 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित था। कोतवाली पुलिस भी हत्या के एक साल पुराने मामले में आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।

सरयू में डूबे दो बालकों में से एक का शव मिला, दूसरे की तलाश

संवाददाता—देवरिया। स्नान करते समय शुक्रवार को सरयू में डूबे जयनगर के दो बालकों में से एक का शव शनिवार को पैना के निकट नदी में किनारे की तरफ उतराता हुआ मिला। पुलिस ने शव कब्जे में ले लिया। दोनों की तलाश में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और गोताखोर शनिवार को दिन भर सरयू की खाक छानती रही। अभी भी एक बालक का पता नहीं चल सका है। थाना क्षेत्र के जयनगर निवासी तीन दोस्त शुक्रवार को नदी स्नान के लिए घर से निकले। करीब तीन बजे अर्पित राजभर (11) पुत्र पवन राजभर, अमन राजभर (12) पुत्र बबलू राजभर और सुधीर राजभर (14) पुत्र सोमनाथ राजभर निर्माणाधीन मोहन सेतु के निकट सरयू में स्नान कर रहे थे। इसी बीच पैर फिसलने से गहरे पानी में चले गए। गहराई अधिक होने से तीनों डूबने लगे। उन्होंने मदद की गुहार लगाई। शोर सुनकर आसपास सब्जी के खेत मे काम कर रहे किसान व नाविक उनकी तरफ दौड़े। सुधीर को उन्होंने बचा भी लिया किंतु अन्य दो किशोर डूब गए। शनिवार को मोहन सेतु से लेकर करीब छह किमी पूरब पैना की तरफ पुलिस की आपदा टीम तलाश करती रही। शाम को करीब छह बजे रेस्क्यू टीम को नदी के किनारे शव दिखा। उसकी पहचान अर्पित राजभर के रूप में हुई। शव मिलने की सूचना मिलते ही उपजिलाधिकारी हरिशंकर लाल, सीओ राजेश चतुर्वेदी और तहसीलदार अरुण कुमार, एसओ विशाल उपाध्याय नदी तट पर पहुंचे।

दो दुर्घटनाओं में एक मजदूर की मौत, तीन लोग घायल

संवाददाता—श्रावस्ती। दो अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में एक मजदूर की मौत हो गई। जबकि तीन अन्य घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल से मेडिकल कालेज रेफर कर दिया गया है। भिनगा कोतवाली क्षेत्र के भिनगा नगर स्थित मोहल्ला बारी निवासी सईद अहमद (55) पुत्र जहूर शनिवार सुबह अपने ही मोहल्ला निवासी सत्य कुमार (56) के साथ बाइक से कहीं मजदूरी करने जा रहा था। जैसे ही वह भिनगा में ही तहसील गेट के पास पहुंचा तभी सामने से आ रहे एक ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में बाइक चला रहे सईद की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। जबकि सत्य कुमार गंभीररूप से घायल हो गया। मौके पर लोगों की भीड़ एकत्र हो गई और जाम की स्थिति बन गई। लोगों की ओर से हादसे की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना पर कोतवाली पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची और घायल को जिला अस्पताल भिनगा भिजवाया। साथ ही पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इधर जिला अस्पताल में सत्य कुमार की स्थिति गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे मेडिकल कालेज बहराइच रेफर कर दिया। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया है और जांच कर रही है।

इसी तरह से थाना इकौना के ग्राम परसौरा माफी निवासी सरदार गुप्ता 50 वर्ष पुत्र रामदीन गुप्ता सड़क पार करके पैदल घर जा रहे थे। तभी जनपद लखीमपुर ग्राम राजगढ़ निवासी कुमार मयंक पुत्र रवि प्रकाश 29 वर्ष शुक्रवार रात को बाइक से वापस अपने घर लौट रहे थे। परसौरा माफी गांव के निकट अचानक तेज रफ्तार में बुजुर्ग को टक्कर मार दी। जिससे दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास ग्रामीण व परिजनों ने एंबुलेंस की सहायता से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इकौना में लाकर देर रात भर्ती कराया। चिकित्सक ने घायल की प्राथमिक उपचार की जा रही है।

बेदखली सूचना

सूचित किया जाता है कि प्रार्थी शमशेर अली आयु लगभग 50 साल पुत्र स्व० शेर अली निवासी ग्राम सराय अहमद थाना– पटरंगा पोस्ट– रौजागांव, तहसील रुदौली, जनपद अयोध्या का निवासी है। मेरे तीन पुत्र कमश: मुजाहिद अली, मुशाहिद अली तथा कासिम अली है । मैंने अपने पुत्र मुजाहिद अली का पांच वर्ष पूर्व शादी ब्याह कर दिया है और वह अपने परिवार के साथ प्रार्थी के मकान में रहता है। मुजाहिद अली मेरे कहने सुनने में नही रहता है और आये दिन मुझे व मेरी पत्नी से विवाद करता है और उसकी पत्नी मेरी पत्नी के साथ मारपीट व गाली गलौज करती है। इसे देखते हुये मैंने मुजाहिद अली व उसके परिवार को 16–05–2026 से अपने चल व अचल सम्पत्ति से बेदखल कर दिया है। अपने किसी भी कृत्य के लिये वह स्वयं जिम्मेदार होगा। प्रकाशन इसलिये करा रहा हूं कि वक्त जरूरत पर काम आवे।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम सरफराज शेख उम्र 26 वर्ष पुत्र अब्दुल रब निवासी–ग्राम रैथुआ तहसील सोहावल जिला–अयोध्या का मूल निवासी हूं। मुझे सरफराज शेख के नाम से जाना व पहचाना जाता है परन्तु लिपकीय त्रुटिवश आधार कार्ड में सरफराज अंकित हो गया है जो गलत है, हमें सरफराज शेख के नाम से जाना जाए।

मार्ग दुर्घटना में एक की मौत, पांच घायल

संवाददाता–गोरखपुर। गगहा क्षेत्र के गोरखपुर–वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर हाटा बाजार और मजुरी के बीच रामपुर टोले के सामने शनिवार सुबह हुए दर्दनाक सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि पांच लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार, एक ट्रैक्टर चालक शटरिंग मशीन और मजदूरों को लेकर छत ढलाई कार्य के लिए जा रहा था। इसी दौरान रामपुर बस स्टॉप के पास वाहन में तकनीकी खराबी आ गई।

चालक ने इसकी सूचना वाहन मालिक को दी। सूचना मिलने पर कार्य देख रहे अनिल यादव बाइक से मौके पर पहुंचे और खराब वाहन को ठीक कराने में जुट गए। इसी बीच गोरखपुर से बड़हलगंज की ओर जा रही पराग दुग्ध की डीसीएम ने पीछे से शटरिंग मशीन में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि अनिल यादव की बाइक भी वाहन के नीचे दब गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा–तफरी मच गई और सड़क पर घायल मजदूरों व बिखरे सामान को देखकर लोगों में चीख–पुकार मच गई। हादसे में सिहाइजपार निवासी 35 वर्षीय अनिल यादव की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं अंजू पुत्र झम्मन और विकास पुत्र कतवारू निवासी सिहाइजपार गंभीर रूप से घायल हो गए। प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। अन्य घायलों का इलाज हाटा बाजार स्थित एक निजी अस्पताल में कराया गया। घटना के बाद नाराज ग्रामीणों ने दूध ा वाहन के चालक और खलासी को पकड़ लिया और मारपीट शुरू कर दी। स्थानीय लोगों के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत कराया गया। सूचना मिलते ही गगहा पुलिस मौके पर पहुंच गई और चालक को हिरासत में लेकर थाने भेज दिया। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है तथा दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है।

अदालती नोटिस

सम्मन बनाम कायम मुकाम कानूनी मुद्अलेह मुतवफ्फा
(आर्डर 22, कायदा 4)
न्यायालय–श्रीमान प्रथम अपर जिला जज महोदय बस्ती जिला बस्ती
प्रकीर्ण रिविजन सं0–38/2023
लालमन3
बनाम
राम नरेश आदि
10/1 विजय शंकर पुत्र भगौती 8/1 हरिश्चन्द्र 8/2 ऋषि प्रसाद 8/3 दिलीप कुमार 8/4 अशोक कुमार पुत्रगण संतबली 8/5 इसरावती पुत्री संतबली निवासीगण ग्राम डीघा तप्पा दखिन हवेली परगना मगहर पूरव तहसील खलीलाबाद जिला संतकबीरनगर

तारीख पेशी 22–07–2026

हरगाह मुद्दई ने एक नालिश इस अदालत में बतारीख माह सन 20 ई0 बनाम मुद्दाअलेह के रूजू की थी, जो बाद की मौत हरगाह मुद्दई मजकूर ने एक दरख्वास्त इस अदालत में गुजारी है कि आप मुतवफ्फा मजकूर का कायम मुकाम कानूनी वारिस है और चाहता है कि बजाय उसके मुद्दाअलेह बनाये जांय।

लिहाजा आपको हुक्म होता है कि बतारीख 22 माह 07 सन 2026 ई0 बवक्त 10 बजे इस अदालत में हाजिर होकर मुकदमा मजकूर जबाबदेही कीजिये और अगर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा वगैर हाजिरी आपके मसमूअ और फैसला होगा।

बवक्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब
(आर्डर 5 कायदा 1 व 5)
न्यायालय– श्रीमान ग्राम न्यायालय हरैया जिला–बस्ती
मूलवाद सं0–589/2023
रामबुझारत आदि
बनाम
महेश
1– महेश उम्र लगभग 34 साल पुत्र राम उजागिर उर्फ गाजिर साकिन बभनान पो0 बभनान तप्पा अतरोह परगना बस्ती पश्चिम तहसील हरैया जिला बस्ती

तारीख पेशी 09–07–2026

हरगाह ने आपके नाम नालिश बाबत के दायर की है। लिहाजा आपक 09 माह 07 सन 2026 ई0 बवक्त 10 बजे दिन असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमें के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।

बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

–द0 हाकिम

आवश्यक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि मेरा क्लाइंट आधार हाऊसिंग फाइनेंस लि० शाखा बस्ती ब्रान्च आफिस प्रथम तल, मकान संख्या–1323, मोहल्ला – पिकौरा शिव गुलाम, कटेश्वर पार्क के पास गाँधीनगर, बस्ती – 272001 उ0प्र0 की तरफ से सूचित किया जाता है कि राम सदल पुत्र मोतीलाल, भरवलिया, सबदेइया कला, अकपन्पी, बस्ती उ० प्र० 272002 ने एक बैनामा 2730 वर्गफीट का स्थित गाटा सं0–2स, मौजा – भरवलिया तप्पा – कड़र, परगना –बस्ती पूरब तहसील – बस्ती जनपद बस्ती जिसकी चौहदी – पूरब में 10 फिट सड़क, पश्चिम में – जमीन मुकिर, उत्तर में – जमीन बिन्देश्वरी सिंह दक्षिण में – जमीन मुकिर, इसको बंधक रखने बैंक अथवा संस्था को प्रश्नगत सम्पत्ति में आपत्ति हो तो इस प्रकाशन के 7 दिन के अन्दर आपत्ति अधोहस्तातरी के समक्ष प्रस्तुत कर दे अन्यथा यह मान लिया जायेगा कि किसी भी को उपरोक्त संस्था को बंधक रखने में कोई आपत्ति नहीं है।

(प्रग्यांशु शुक्ला एडवोकेट)
L.G.F.–011, निचली भूतल, A1 बिल्डिंग ब्लाक – A, सेक्टर–59, नोएडा, उ0प्र0
पिन कोड – 201301,
मो.नं.– 8920298602

महादेव की कसम, मुझे नहीं पता कि मैं क्यों वायरल हो जाता हूं, 'होम फ्रहम वर्क' पर बोले सांसद रवि किशन

संवाददाता–गोरखपुर। इंटरनेट के दौर में कौन कब वायरल हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। कभी फोटो तो कभी लोगों की जुबान से निकले शब्द सोशल मीडिया पर वायरल हो जाते हैं। जब लोग कुछ सोच पाते हैं तब तक वह हजारों लोगों तक पहुंच जाता है। ऐसे में कुछ लोगों को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। ऐसा ही एक वीडियो गोरखपुर सांसद रवि किशन का वायरल हो गया। रवि किशन के इस वीडियो पर लोगों ने अब मीम्स बनाने शुरू कर दिए हैं। हालांकि रवि किशन ने इसको लेकर सफाई भी दी। गोरखपुर से भाजपा सांसद और अभिनेता रवि किशन का कहना है कि वह आज तक यह नहीं समझ पाए हैं कि सोशल मीडिया पर उनके वीडियो और श्मीम्सश क्यों प्रसारित होते रहते हैं। उन्होंने कहा कि वह महज एक आम इंसान हैं और दूसरों की तरह उनसे भी गलतियां हो जाती हैं। अभिनेता रवि किशन से शुक्रवार शाम उनकी आगामी फिल्म श्मां बहनश के ट्रेलर जारी करने के मौके पर उनकी हालिया वायरल हुई वीडियो के संबंध ा में पूछा गया था, जिसमें उन्होंने गलती से श्वर्क फ्रॉम होमश कहने के बजाय श्होम फ्रॉम वर्कश कह दिया। वह इस वीडियो में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की 'वर्क फ्रॉम होम' की अपील के समर्थन में बोल रहे थे।

सुनीता हत्याकांड में आरोपी पति गिरफ्तार

संवाददाता–संतकबीरनगर। जिले के महुली थाना क्षेत्र के ग्राम जिगिना में महिला की हुई हत्या के मामले में पुलिस ने शनिवार को मुख्य आरोपित पति को गिरफ्तार कर लिया। इस सनसनीखेज मामले में तीन दिन पूर्व बंद कमरे से विवाहिता का सड़ा शव मिला था। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस हत्यारोपियों की तलाश कर रही थी। शनिवार को पुलिस ने मैनसिर पुलिया के पास से किया आरोपी पति को गिरफ्तार किया। मामले में नामजद तीन अन्य आरोपित अब भी पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं। पुलिस उनकी तलाश में लगातार दबिश देने का दावा कर रही है। विगत 20 मई की सुबह जिगिना गांव स्थित एक मकान में बाहर से ताला लटक रहा था। इसी दौरान घर के अंदर से तेज दुर्गंध उठने पर ग्रामीणों को अनहोनी की आशंका हुई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने ताला तुड़वाकर कमरे का दरवाजा खुलवाया। अंदर विवाहिता सुनीता का शव सड़ी अवस्था में पड़ा मिला। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। इस मामले में सुनीता की मां कमलावती देवी पत्नी रामलखन निवासी मरवटिया की तहरीर पर महुली पुलिस ने पति श्रीपत बेलदार पुत्र दिग्विजय, कौशिल्या पत्नी महेंद्र, संतोषी पत्नी धनपत तथा पप्पू पुत्र नरेश के खिलाफ हत्या सहित अन्य ध ााराओं में मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने शनिवार को मुख्य आरोपित पति श्रीपत बेलदार को मैनसिर पुलिया के निकट से गिरफ्तार कर लिया। वहीं मामले में नामजद अन्य तीन आरोपित अभी फरार चल रहे हैं। पुलिस का कहना है कि उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। जल्द ही सभी आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

अदालती नोटिस

(हेतु सन्दर्शित करने की सूचना साधारण प्रारूप)
न्यायालय श्रीमान ए०सी० जे०एम० द्वितीय बस्ती जिला–बस्ती
प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र (101/12/2023
उमेश कुमार सिंह उम्र करीब 51 वर्ष पुत्र कौशल किशोर सिंह साकिन अगया बुजुर्ग थाना पैकोलिया, जिला बस्ती।

बनाम

1– घनश्याम सिह उम्र करीब 57 वर्ष पुत्र श्रीपति सिंह 2–माण्डवी सिंह उम्र करीब 52 वर्ष पत्नी घनश्याम सिंह 3–रामप्रकाश सिंह उम्र करीब 55 वर्ष पुत्र अमला सिंह सकिनान–अगया बुजुर्ग थाना पैकोलिया, जिला बस्ती

–अभियुक्तगण

तारीख पेशी 03–06–2026

चूंकि उपरीनामांकित वादी ने इस न्यायालय में आवेदन किया है कि अतएवं आपके एतद द्वारा चेतावनी दी जाती है कि आप इसे आदेश के खिलाफ हेतु सन्दर्भित करने के लिये 2026 के माह 06 के 03 दिवस को 10.00 बजे पूर्वान्ह में स्वयं या सम्पर्क रूपेण अनुर्दिष्ट अपने अधिवक्ता द्वारा उपस्थित हो और ऐसा न करने पर उक्त आवेदन एक पक्षीय रूप से सुना जायेगा।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा सहित आज सन के माह के दिवस को निकाली गयी।

द0 हाकिम

डीएम आवास के सामने अमृत सरोवर में डूबकर किशोरी की मौत, बचाने कूदीं दो महिलाएं अस्पताल में भर्ती

संवाददाता–अम्बेडकरनगर। अकबरपुर के दहीरपुर गांव में डीएम आवास के सामने आदर्श अमृत सरोवर में भैंस नहलाने के दौरान रूही गहरे पानी में चली गई। उसे बचाने के लिए तालाब में कूदी दो महिलाएं भी डूब गईं। ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद दोनों महिलाओं को तो बाहर निकाल लिया, लेकिन रूही की मौत हो गई। उसे करीब 30 मिनट बाद बाहर निकाला जा सका। दोनों महिलाओं को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अकबरपुर के सैदापुर निवासी जितेंद्र कुमार के मुताबिक, उनकी बेटी रूही (12) कक्षा चार में पढ़ती थी। स्कूल में गर्मी की छुट्टी होने के बाद शनिवार की सुबह वह भैंस चराने गई थी। सुबह 09.00 बजे के करीब दहीरपुर तालाब के निकट थी। उनके साथ गांव की सुनरा देवी (48) और सिताबा देवी (50) भी भैंस लेकर गई थीं। लगभग 10 बजे रूही अपनी भैंस को नहलाने के लिए तालाब में ले गई। तालाब में उतरते ही भैंस गहरे पानी में चली गई। उसके पीछे आ रही रूही पानी गहरा होने के कारण डूबने लगीं। यह नजारा देखकर तालाब के पास खड़ी गांव की दो महिलाएं सुनरा देवी व सिताबा उसे बचाने के लिए पानी में कूद पड़ीं। दुर्भाग्यवश तीनों ही गहरे पानी में फंस गईं और डूबने लगीं।

सूचना मिलते ही सुनरा देवी के बेटे सुनील और अन्य ग्रामीणों ने तुरंत तालाब में छलांग लगा दी। उन्होंने कड़ी मशक्कत के बाद सुनरा देवी और सिताबा देवी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। लगभग आधे घंटे की मशक्कत के बाद रूही को तालाब से बाहर निकाला जा सका। लेकिन, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। इसी बीच अपने आवास से निकलकर कार्यालय जा रहीं डीएम ईशा प्रिया भी मौके पर रुक गईं। उन्होंने पुलिस से दोनों महिलाओं को इलाज के लिए पड़ोस के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया। वहां हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है।

साथ ही एसडीएम को फोन कर पीड़ित परिवार को हर संभव मदद मुहैया कराने के निर्देश दिए। जॉइंट मजिस्ट्रेट प्रतीक्षा सिंह ने बताया कि पीड़ित परिवार को आपदा राहत कोष से मदद मुहैया कराई जाएगी। इसके लिए राजस्व टीम को कार्रवाई पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। मृतका रूही की मौत के बाद से माता–पिता व भाई–बहनों का रो–रोकर बुरा हाल है। जितेंद्र के परिवार में पत्नी रंजनी देवी के अलावा पुत्री रिया, श्रेजल, आरोही और सबसे छोटा बेटा समर्थ हैं। जितेंद्र मजदूरी और पशुपालन कर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं।

नगर पालिका, अकबरपुर द्वारा लगभग एक करोड़ 89 लाख रुपये की लागत से वर्ष 2025 में निर्मित कराए गए दहीरपुर तालाब में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम न होने के कारण, यहां दुर्घटनाओं का खतरा बना हुआ है। डीएम आवास के ठीक सामने टांडा–अकबरपुर मुख्य मार्ग पर स्थित इस तालाब में भरपूर पानी है और गहराई भी काफी है। यही कारण है कि गर्मी से राहत पाने के लिए दूर–दूर से लोग यहां स्नान करने आते हैं। तालाब के चारों ओर पूर्व में लगाए गए तार गायब हो चुके हैं। किसी भी प्रकार के सुरक्षा घेरे या बैरिकेडिंग की व्यवस्था न होने से यह स्थान खतरनाक साबित हो रहा है। इस हादसे के बाद तालाब के आसपास पुलिस कर्मियों की तैनाती कर नहाने पर रोक लगा दी गई है।

दहेज हत्या के आरोप में पति, सास और ससुर को पुलिस ने भेजा जेल

संवाददाता–गोरखपु। चौरीचौरा क्षेत्र के बघाड़ महदेवा में एक विवाहिता के आत्महत्या की घटना में दर्ज दहेज हत्या के तीन आरोपितों को पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने पति विवेक, सास लीला देवी व ससुर सुरेश मौर्य को जेल भेज दिया। मृतका के पिता राम किशुन मौर्या ने तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उनकी बड़ी बेटी द्वारा ससुराल वालों के दबाव में और उनके प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या कर लिया। शादी के बाद से ही आए दिन उसके साथ घरेलू हिंसा मारपीट गाली गलौज व पैसे के लेकर दबाव बनाया जाता और प्रताड़ित किया जाता था। जिसमें पति विवेक, विपिन मौर्य, ससुर सुरेश मौर्य, वंदना मौर्य और सास लीला देवी प्रताड़ित करते थे। पुलिस ने तहरीर के आधार पर सभी के खिलाफ केस दर्ज कर किया था।

अदालती नोटिस

इश्तहार मजरिया अदालत–श्रीमान सिविल जज (जू0डि0) बस्ती जिला–बस्ती
प्रकीर्ण वाद संख्या– 207/2026
महेश कुमार आदि–सायलान
1–महेश कुमार आयु करीब 33 साल 2–मुकेश कुमार वाल्मीकि आयु 31 साल पुत्रगण स्व० पन्नालाल 3–कु० बीना आयु करीब 32 साल 4–कु० मधु देवी आयु करीब 29 वर्ष पुत्रीगण स्व० पन्नालाल साकिन दुबौलिया तप्पा दुबौलिया परगना अमोढ़ा तहसील हरैया जिला बस्ती 5–गीता देवी आयु करीब 44 साल पुत्री स्व० पन्नालाल पता – उर्दू बाजार, फैजाबाद हालपता–सा०–दुवौलिया तप्पा दुबौलिया जिला–बस्ती 6–आशा उर्फ संगीता आयु करीब 41 साल पुत्री स्व० पन्नालाल पता – तोप दरवाजा, लखनऊ हालपता–दुवौलिया तप्पा दुबौलिया जिला–बस्ती 7–सीमा आयु करीब 39 साल पुत्री स्व० पन्नालाल पता–बेलीगूंग, जिला–कोलकाता (प० बंगाल) हाल पता दुवौलिया तप्पा दुबौलिया जिला–बस्ती

–सायलान

तारीख पेशी 27–07–2026

दरख्वास्त मुसम्मा
वास्ते हुसूल सर्टीफिकेट वसूल कर्जा व विकालत हाय दरख्वास्त मुसम्मा मुतवफ्फा अपने बमूजिब एक्ट 7 सन 1889 ई0 वकैद

हरगाह मुसम्मा ने दरख्वास्त हुसूल सर्टीफिकेट गुजरानी है और तारीख माह सन ई0 वास्ते समाअत दरख्वास्त के मुकर्रर हुई है। लिहाजा यह इश्तिहार जारी किया जाता है कि किसी को निस्बत के उज्र हो या असालतन या वकालतन वक्त 10 बजे सुबह अदालत सिविल जज (जू0डि0) बस्ती बतारीख पेशी 27–07–2026 मुकर्रर हाजिर होकर उज्र अपना पेश करें। दरसूरत इनकजाय तारीख मजकूर के फिर उज्र किसी का सुना न जायेगा और हुक्म मुनासिब निस्बत दरख्वास्त मजकूर के सादिर होगा।

अलमरकूम माह सन 20 ई0।

द0 हाकिम

अदालती नोटिस

इत्तिलानामा दरख्वास्त हुसूल हुक्म मुशहर मन्सूखी डिसमिसी नालिश
(आर्डर 9 कायदा 9) (2)
अदालत– श्रीमान सिविल जज (जू0डि0) बस्ती जिला–बस्ती
प्रकीर्ण वाद संख्या– 74/2024
1. ओमप्रकाश उम्र लगभग 68 वर्ष 2. निरंकार उम्र लगभग 55 वर्ष 3. प्रेमप्रकाश उम्र लगभग 51 वर्ष पुत्रगण स्व० रामनरायन 4. आलोक उम्र लगभग 38 वर्ष 5. शैलेश कुमार उम्र लगभग 28 वर्ष पुत्रगण ओंकारनाथ 6. श्रीमती सुरेसरा उम्र लगभग 63 वर्ष बेवा ओंकारनाथ 7. श्रीमती कृष्णावती उम्र लगभग 61 बेवा श्रीकान्त 8. विनोद कुमार उम्र लगभग 61 वर्ष 9. प्रमोद कुमार उम्र लगभग 50 वर्ष 10. पवन कुमार उम्र लगभग 47 वर्ष पुत्रगण स्व० शिवप्रसाद निवासीगण ग्राम–पढ़नी, तप्पा–गौर, परगना बस्ती पश्चिम तहसील–हरैया जिला–बस्ती।

बनाम

–सायलान

1. मन्तराम उम्र लगभग 35 वर्ष 2. दयाराम उम्र लगभग 33 वर्ष 3. रंजीत उम्र लगभग 23 वर्ष 4. मंजीत उर्फ राकेश उम्र लगभग 21 वर्ष पुत्रगण रामकल्प 5. उर्मिला देवी उम्र लगभग 58 वर्ष बेवा स्व० रामकल्प 6. राजेन्द्र प्रसाद उम्र लगभग 38 वर्ष पुत्र स्व० रामसहाय 7. रामधनी उम्र लगभग 33 वर्ष पुत्र रामसहाय 8. सूर्यमती उम्र लगभग 63 वर्ष बेवा स्व० रामसहाय निवासीगण ग्राम–पढ़नी, तप्पा–गौर, परगना बस्ती पश्चिम, तहसील–हरैया जिला–बस्ती

– विपक्षीगण प्रथम वर्ग

9. प्रियंका उम्र लगभग 30 वर्ष पत्नी दयाराम 10. मायादेवी उम्र लगभग 32 वर्ष पत्नी मन्तराम 11. उर्मिला देवी उम्र लगभग 40 वर्ष पत्नी दुर्गा प्रसाद 12. शीला देवी उम्र लगभग 30 वर्ष पत्नी तुलसीराम 13. सीता देवी उम्र लगभग 50 वर्ष पत्नी परदेशी 14. अमरावती उम्र लगभग 45 वर्ष पत्नी टिकोरी 15. मालती उम्र लगभग 40 वर्ष पत्नी सवारे 16. ज्ञानमती उम्र लगभग 40 वर्ष पत्नी शिवकुमार 17. निर्मला देवी उम्र लगभग 58 वर्ष पत्नी मेहीलाल निवासीगण ग्राम–पढ़नी, तप्पा–गौर, परगना बस्ती पश्चिम, तहसील–हरैया जिला–बस्ती। 18. महेश कुमार उम्र लगभग 42 वर्ष पुत्र रामभवन साकिन–बैदोलिया अजायब, तप्पा–गौर, परगना बस्ती पश्चिम, तहसील–हरैया जिला–बस्ती।

–विपक्षीगण द्वितीय वर्ग

तारीख पेशी 17–07–2026

दरख्वास्त मुसम्मा
हरगाह मुद्दई मजकुरूसदर ने इस अदालत में दरख्वास्त हुकूम मुशहर मन्सूखी डिसमिसी नालिश नाबुदा हस्ब हिदायत अदालत हाजा बतारीख माह सन ई0 पेश को है।

लिहाजा आपको इत्तिला दी जाती है कि आप इस अदालत में बतारीख 17 माह 07 सन 2026 या असालतन या बजरिये वकील अदालत हाजा या मुख्तार मजाज हस्ब जाप्ता और वाकिफ हाल मुकदमा में हाजिर होकर वजह (अगर कोई हो) जाहिर करें कि नाबुर्दा की दरख्वास्त क्यों न मन्जूर किया जाय।

मेरे दस्तखत और मुहर अदालत से आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

द0 हाकिम

अदालती नोटिस

इत्तिलानामा बनाम रेपान्डेन्ट बावत इत्तिला तारीख मुकर्ररह समायत अपील
अपील सं0–
अदालत– श्रीमान अपर आयुक्त (प्रशासन) बस्ती मण्डल महोदय बस्ती जिला–बस्ती
श्यामू मौर्य आदि
बनाम
सरकार उ0प्र0 आदि
1. सरकार उ0प्र0 –विपक्षी प्रथम वर्ग 2. टीड़ी पुत्र रामसुभग 3. सुभग पुत्र राममिलन 4. गंगाराम पुत्र रामअचल 5. हरीश 6. रामचेत पुत्रगण रामअचल 7. राम भारत 8. रघुवर पुत्रगण रामजतन 9. रमेश 10. उमेश 11. राजू पुत्रगण स्व0 सुमिरन 12. श्रीमती अनारी पत्नी स्व0 सचिन 13. छत्रपाल पुत्र परसू 14. मंशाराम पुत्र रामअचल 15. हरीश प्रसाद पुत्र रामअचल निवासीगण मौजा पिछौरा तप्पा चरकैला परगना महुली पश्चिम तहसील व जिला बस्ती

–विपक्षीगण द्वितीय वर्ग

तारीख पेशी 11–06–2026

अपील बनराजी के अदालत मुकाम बस्ती
मयरिखा महीना सन् 20 ई0
रेस्पान्डेन्ट

इत्तिला दी जाती है कि अपील बनराजी डिगरी इस मुकदमें में मुसम्मी ने पेश इस अदालत में दर्ज रजिस्टर हुआ और इस अदालत व तारीख 11 महीना 06 सन 2026 ई0 वास्ते जमानत तथा अपील मुकर्रर का है। अगर खुद या आपके वकील या और शख्स जो कानून आपकी तरफ से अपील हाजा में जबाब सवाल करने वाजिद हो हाजिर न आयेगा तो उसकी समायत और तजबीज आपकी गैर हाजिरी में एकतरफा हो जायेगी। आज बतारीख 23 माह 05 सन 2026 ई. मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के हवाले किया गया।

द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन बनाम कायम मुकाम कानूनी मुद्अलेह मुतवफ्फा
(आर्डर 22, कायदा 4)
न्यायालय–श्रीमान तृतीय अति0 सिविल जज (जू0डि0) बस्ती जिला बस्ती
मूलवाद सं0–622/93
प्रकीर्ण वाद सं0–08/2012
सर्वदेव
बनाम
जोखन आदि
7/1 सुशीला देवी आयु 70 वर्ष पत्नी स्व0 ब्रम्हदेव शुक्ल 7/2 विकास शुक्ल आयु 40 वर्ष पुत्र स्व0 ब्रम्हदेव शुक्ल 7/3 राजेश्वरी आयु 34 वर्ष पत्नी दिवाकर मिश्र साकिन भुलकी पो0 धर्मसिंहवा जिला संतकबीरनगर 7/4 मिथिलेश्वरी शुक्ल उम्र 32 वर्ष पत्नी ऋषिकेश मिश्र साकिन ओडवरा पो0 मेंहदावल जिला संतकबीर नगर सभी मूल निवासी एकला शुक्ल तप्पा मेंहदावल परगना मगहर पूरव तहसील मेंहदावल जिला संतकबीरनगर

तारीख पेशी 04–08–2026

हरगाह मुद्दई ने एक नालिश इस अदालत में बतारीख माह सन 20 ई0 बनाम मुद्दाअलेह के रूजू की थी, जो बाद की मौत हरगाह मुद्दई मजकूर ने एक दरख्वास्त इस अदालत में गुजारी है कि आप मुतवफ्फा मजकूर का कायम मुकाम कानूनी वारिस है और चाहता है कि बजाय उसके मुद्दाअलेह बनाये जांय।

लिहाजा आपको हुक्म होता है कि बतारीख 08 माह 08 सन 2026 ई0 बवक्त 10 बजे इस अदालत में हाजिर होकर मुकदमा मजकूर जबाबदेही कीजिये और अगर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा वगैर हाजिरी आपके मसमूअ और फैसला होगा।

बवक्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब
(आर्डर 5 कायदा 1 व 5)
न्यायालय– श्रीमान सिविल जज (सी0डि0) महोदय बस्ती जिला–बस्ती
वाद सं0–411/2023
शिवाकान्त
बनाम
रामू यादव आदि
1– रामू यादव उम्र लगभग 35 साल 2– श्याम यादव उम्र लगभंग 33 साल पुत्रगण झगरु 3– लक्ष्मन उम्र लगभग 50 साल पुत्र रामकिशुन 4– सचिन उम्र लगभग 25 साल पुत्र यादवराम 5– कैलाशा उम्र लगभग 65 साल पत्नी 6– गायत्री उम्र लगभग 35 साल पत्नी 7– सोना उम्र लगभग साल पत्नी झगरू निवासीगण मौजा नादेकुआ तप्पा दुबौलिया परगना – अमोढा तहसील–हरैया जिला–बस्ती ।

– प्रतिवादीगण प्रथमवर्ग

8– शिवनरायन उम्र लगभग 45 साल 9– श्यामनरायन उम्र लगभंग 35 साल 10–लेखराम उम्र लगभगर 25 साल पुत्रगण गनेश निवासीगण मौजा नादेकुआ तप्पा दुबौलिया परगना – अमोढा तहसील–हरैया जिला–बस्ती ।

– प्रतिवादीगण द्वितीय वर्ग

तारीख पेशी 03–08–2026

हरगाह ने आपके नाम नालिश बाबत के दायर की है। लिहाजा आपक 03 माह 08 सन 2026 ई0 बवक्त 10 बजे दिन असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमें के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।

बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

–द0 हाकिम

संतुलन खोकर छत से गिरी महिला, मौत

संवाददाता–संतकबीरनगर। संतकबीरनगर जिले के महुली थाना क्षेत्र ग्राम मानपुर में शुक्रवार रात में छत पर टहल रही महिला संतुलन खोने से जमीन पर गिर कर गंभीर रूप से चुटहिल हो गई। परिजन आनन फानन में उपचार के लिए निकट अस्पताल लेकर गए। डॉक्टरों ने महिला के मौत होने की पुष्टि कर दी।मानपुर निवासी प्रभावती देवी पत्नी राम नयन (50) शुक्रवार देर रात छत पर टहल रही थी। परिजनों के अनुसार बिजली कटी थी। भीषण गर्मी से बेहाल होकर प्रभावती देवी छत पर टहल रही थी। इसी दौरान प्रभावती देवी संतुलन खोकर अनियंत्रित होकर छत से नीचे गिर गई। आनन फानन में उपचार के लिए निकट अस्पताल ले जाया गया।

अदालती नोटिस

सम्मन बरगज इनफिसाल मुकदमा
(आर्डर 5 कायदा 1 व 5 मजमुआ जाप्ता 200 ई0)
वाद सं0– 709/2018
धारा 116 उ0प्र0रा0सं0–2006
अदालत– श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय (न्यायिक) महोदय हरैया जिला बस्ती

महातम आदि
बनाम
रामशंकर आदि

1. रामशंकर 2. रामजीवन पुत्रगण मिठाईलाल 3/1 संदीप कुमार मौर्य पुत्र रामचन्दर 3/2 वैष्णवी रामचन्दर पुत्री रामचन्दर 3/3 राधिका रामचन्दर पत्नी रामचन्दर 4. जगरानी पत्नी स्व0 मुन्नू 5. अशोक कुमार 6. राजेश कुमार 7. राकेश कुमार पुत्रगण स्व0 मुन्नू 8. बन्दी 9. राहुल 10. रवी पुत्रगण स्व0 चन्द्र प्रकाश नावालिगान बवलायत श्रीमती मुन्नी देवी पत्नी चन्द्र प्रकाश हकीकी 11. श्रीमती मुन्नी देवी पत्नी स्व0 चन्द्र प्रकाश साकिनान रतनपुर खास तप्पा रतनपुर परगना बस्ती पश्चिम तहसील हरैया जिला बस्ती –प्रतिवादीगण प्रथम वर्ग
12. रेखा देवी पुत्री स्व0 मुन्नू (विवाहिता) साकिन रतनपुर खास तप्पा रतनपुर परगना बस्ती पश्चिम तहसील हरैया जिला बस्ती 13. सरजू ड्रेनेज खण्ड (2) गोण्डा पिपरकाजी माइनर द्वारा सींच प्रयर्वेक्षक

–प्रतिवादीगण द्वितीय पक्ष

14. ग्राम पंचायत रतनपुर द्वारा ग्राम प्रधान –प्रतिवादी तृतीय वर्ग

तारीख पेशी 04–06–2026

वाजेह हो कि ने आपके नाम एक नालिस बाबत दायर की है। लिहाजा आपको हुक्म होता है कि आप बतारीख 04 माह 06 सन 2026 ई0 बवक्त 10 बजे दिन बमुकाम असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमे के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके हाजिरी के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तदलाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।

बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

द0 हाकिम

दैनिक भारतीय बस्ती
संस्थापक सम्पादक स्व. दिनेश चन्द्र पाण्डेय
स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक प्रदीप चन्द्र पाण्डेय द्वारा दर्पण प्रिन्टिंग प्रेस वि0. नया हाल 1–4 A लोहिया काम्पलेक्स जिला पंचायत भवन गांधीनगर बस्ती (उ.प्र.) से मुद्रित एवं प्रकाशित।

प्रबन्ध सम्पादक–**दिनेश सिंह**
संयुक्त सम्पादक–**प्रदीप चन्द्र पाण्डेय**
अयोध्या–फैजाबाद कार्यालय– चतुर्भुजी मंदिर परिसर लक्ष्मण घाट अयोध्या–फैजाबाद
लखनऊ कार्यालय– आशियाना चौराहा, एल.डी.ए. कालोनी, सेक्टर एच. कानपुर रोड लखनऊ।
गोरखपुर कार्यालय– इलाहीबाग गोरखपुर।
मो0 9336715406, 8400925463
ई.मेल **bhartiyabasti@gmail.com**
dainikbhartiyabasti@gmail.com